प्रेषक,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में

1– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
2– सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
3– मण्डलीय अपर निदेशक, मा0शि0, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

पत्रांक : अका0/ 3188-92 /कोविड/2020–21 दिनांक : 28 अक्टूबर, 2020

विषयः **कोविड–19 के परिपेक्ष्य में प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के कक्षा–10 एवं कक्षा–12 के विद्यालयों एवं निजी आवासीय विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन–पाठन पुनः प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 के पत्र सं0–463/XXIV-B-5/2020-3(1)/2020 दि0–24 अक्टूबर, 2020 एवं पत्र सं0–464/XXIV-B-5/2020-3(1)/2020 दि0–24 अक्टूबर, 2020 जो महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के साथ–साथ आपको भी सम्बोधित है का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्रों द्वारा क्रमशः उत्तराखण्ड प्रदेश में संचालित समस्त बोर्डों के कक्षा–10 एवं कक्षा–12 के विद्यालयों एवं निजी आवासीय विद्यालयों को खोले जाने से संबंधित, पृथक–पृथक Standard Operating Procedures (SOP) संलग्न कर प्रेषित करते हुए एस0ओ0पी0 तथा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा www.mhrd.gov.in पर जारी गाईड लाईन्स का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डों के कक्षा–10 एवं कक्षा–12 के विद्यालयों एवं निजी आवासीय विद्यालयों में 10 एवं 12 की कक्षाओं में भौतिक रूप से पठन–पाठन पुनः प्रारम्भ किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

उक्त के क्रम में शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र सं0–463, दि0–24 अक्टूबर, 2020 एवं पत्र सं0–464, दि0–24 अक्टूबर, 2020 तथा Standard Operating Procedures (SOP) (पृथक–पृथक) की प्रति संलग्न कर ई–मेल के माध्यम से इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि शासन द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

**संलग्नक–उक्तवत्।**

भवदीय

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– 3188-92 / अका0/कोविड/2020-21 दिनांकः उक्तवत्

प्रतिलिपि–1– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2– निजी सचिव, सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, को सूचनार्थ।
4– मण्डलीय अपर निदेशक, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल, को सूचनार्थ।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

संख्याः– 463 /XXIV-B-5/2020–3(1)2020

प्रेषक,

ओम प्रकाश
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड।

2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

3– निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून

4– सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी
शिक्षा परिषद, रामनगर बोर्ड,
नैनीताल

5– समस्त अपर निदेशक/संयुक्त
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड।

6– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 देहरादून : दिनांक : 24 अक्टूबर, 2020

विषयः– **कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के कक्षा–10 एवं कक्षा–12 के विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन–पाठन पुनः प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कोरोना वायरस के बढते संक्रमण के दृष्टिगत घोषित लॉकडाउन के कारण विद्यालय बन्द है। शासन स्तर से विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से आनलाईन शिक्षण कराये जाने के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

2– गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3/2020–डी0एम0–1(ए) दिनांक 30.09.2020 एवं शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) भारत सरकार के पत्र F.No.11-16/2020Sch.4, दिनांक 05.10.2020 द्वारा विद्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में Standard Operating Procedures (SOP) जारी किये गये है।

3– उक्त के क्रम में सत्र को नियमित करने तथा छात्रहित में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के विद्यालयों के कक्षाएं 10 एवं 12 में दिनांक 02.11.2020 से पठन पाठन भौतिक रूप से पुनः प्रारम्भ किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती हैः–

1. विद्यालय खोले जाने से पूर्व उन्हें पूरी तरह से सेनेटाईज किया जाये तथा यह प्रक्रिया प्रतिदिन प्रत्येक पाली के उपरान्त नियमित रूप से भी सुनिश्चित की जाय।
2. विद्यालयों में सेनेटाईजर, हैण्डवाश, थर्मलस्कैनिंग एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। यदि किसी विद्यार्थी या शिक्षक या अन्य कार्मिक को खॉसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो तो उन्हें प्राथमिक उपचार देते हुये घर वापस भेज दिया जाय।
3. विद्यार्थियों को हैण्डवाश/ हैण्ड सेनेटाईज कराने के प्श्चात ही विद्यालय में प्रवेश दिया जाय।

A. Diwan
24/X/20

क्रमशः.....2 पर

4. विद्यालय में प्रवेश के समय तथा छुट्टी के समय मुख्य द्वार पर सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा एक साथ सभी विद्यार्थियों की छुट्टी न की जाय।
5. विद्यालय में यदि एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो उनका उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि विद्यार्थी स्कूल बसों अथवा विद्यालय से सम्बद्ध सार्वजनिक सेवा वाहन से विद्यालय आते है तो उन्हें प्रतिदिन सेनेटाईज कराया जाये तथा बैठने की व्यवस्था में सोशल डिस्टैन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
7. सभी शिक्षकों, विद्यर्थियों तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। विद्यालय प्रबन्धन द्वारा अतिरिक्त मात्रा में मास्क उपलब्ध रखे जाये।
8. विद्यार्थियों को 06 फिट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
9. ऑनलाईन पठन–पाठन की व्यवस्था यथावत् जारी रखी जाये तथा इसे प्रोत्साहित किया जायें, जिन विद्यार्थियो के पास ऑनलाईन पठन–पाठन की सुविधा उपलब्ध नही है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय बुलाया जाय। यदि कोई विद्यार्थी ऑनलाईन अध्ययन करना चाहता है तो उसे सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय की होगी।
10. छात्र संख्या एवं सोशल डिस्टैन्सिंग बनाने के लिये यदि आवश्यक हो तो विद्यालय 02 पालियों में संचालित किये जाये। प्रथम पाली में कक्षा 10 तथा द्वितीय पाली में कक्षा 12 के विद्यार्थियों को पठन–पाठन हेतु बुलाया जाय।
11. विद्यालय की छात्र संख्या एवं सोशल डिस्टैन्सिंग के दृष्टिगत यदि आवश्यक हो तो एक दिवस में प्रत्येक कक्षा के अधिकतम 50 प्रतिशत तक विद्यार्थियों को ही बुलाया जाय। अवशेष 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को अगले दिन बुलाया जाय।
12. विद्यार्थयों को उनके माता–पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के उपरान्त ही पठन–पाठन हेतु बुलाया जाय। विद्यालय में उपस्थिति हेतु लचीला रूख अपनाया जाय तथा किसी विद्यार्थी को विद्यालय आने के लिये बाध्य न किया जाय।
13. कोविड–19 के फैलाव तथा उससे बचाव के उपायों से समस्त विद्यार्थियों को जागरूक किया जाय।

4– अतः विद्यालय खोले जाने से सम्बन्धित Standard Operating Procedures (SOP) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न एस0ओ0पी0 तथा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा www.mhrd.gov.in पर जारी गाईड लाईन्स का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो की 10 एवं 12 की कक्षाओं की विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन–पाठन पुनः प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करे।

5– विद्यालयों को पुनः खोले जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था का सतत् अनुश्रवण एवं अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा किसी वरिष्ठ एवं भिज्ञ अधिकारी को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जायेगा, जिसके द्वारा नियमित रूप से शासन को कृत कार्यवाही की प्रगति आख्या उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी द्वारा एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी तथा उस जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी (CEO) को पदेन सहायक नोडल अधिकारी के रूप में नामित करते हुये, व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया जायेगा।

A Diwal
24/X/20

क्रमशः......3 पर

6– प्रत्येक विद्यालय का प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय हेतु विद्यालय स्तरीय पदेन नोडल अधिकारी होगा और राज्य के मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर अपने विद्यालय की मानक संचालन प्रक्रिया की रूपरेखा शासनादेश निर्गत होने के तीन दिन के भीतर तैयार कर अपने जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेगा और प्रचार–प्रसार(संचार माध्यमों, नोटिस बोर्ड एवं मुख्य द्वार पर चस्पा कराना इत्यादि) भी सुनिश्चित करेगा। विद्यालय अपनी कार्ययोजना से कक्षा 10 एवं 12 के विद्यार्थियों के अभिभावकों को अवगत कराते हुये यदि अभिभावक स्वेच्छा से छात्र–छात्राओं को विद्यालय भेजने हेतु सहमत होते है तो अपनी सहमति विद्यालय खुलने की तिथि से पूर्व संचार माध्यमों ई–मेल इत्यादि के माध्यम से अथवा विद्यालय खुलने की तिथि को भौतिक रूप में भी प्रेषित कर सकते है।

7– उपरोक्तानुसार/संलग्न मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन न करने वाले विद्यालयों के विरूद्ध महामारी अधिनियम की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

**संलग्नकः–यथोपरि।**

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव।

**संख्या– 463(1)/XXIV–B-5/2020–03(1)2020 तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपि** –निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. स्टॉफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड
5. राज्य परियोजना निदेशक, शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. सचिव, सी0बी0एस0ई, बोर्ड, नई दिल्ली।
9. सचिव, सी0आई0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली।
10. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सालावाला, हाथीबडकला, देहरादून।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, सी0बी0एस0ई, कौलागढ रोड, देहरादून।
12. समस्त, मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निजी सचिव, मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

24/X/20

आज्ञा से,

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

# माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड

शासनादेश संख्या- 463 /XXIV-B-5/2020-3(1)/2020 दिनांक 24.10.2020 का संलग्नक

## भाग- I

**स्वास्थ्य, स्वच्छता व सुरक्षा के लिए एसओपी**

I. स्कूल खोलने से पूर्व स्वास्थ्य स्वच्छता व अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

क) स्कूल में समुचित सफाई और स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करना

- स्कूल परिसर में सभी स्थानों, फ़र्निचर, उपकरणों, स्टेशनरी, संग्रहण स्थानो, पानी की टंकियों, रसोईघर, कैंटीन, शौचालय, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, आदि की अच्छी तरह सफाई और कीटाणुशोधन तथा अंदरूनी स्थानों पर हवा का प्रवाह सुनिश्चित करना। **विद्यालय में स्थित पानी की टंकी की साफ सफाई करते हुये विद्वालय खुलने के एक दिन पूर्व स्वच्छ जल भरने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय।**
- स्कूल में हाथ धोने की कार्यशील सुविधाएं सुनिश्चित करना
- मुख्य आपूर्ति जैसे थेर्मोमीटर, कीटाणुनाशक, साबुन आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना और इन्हे उपलब्ध करने की व्यवस्था करना। प्रयोग किए जाने वाले थेर्मोमिटर कलिबेरटेड कांटैक्ट लेस इन्फ्रा रेड डिजिटल थेर्मोमिटर होने चाहिएं।
- स्कूल परिवहन शुरू करने से पहले उनका सेनीटाइजेशन किया जाए **और नियमित रूप से परिवहन हेतु प्रयुक्त् वाहनों का दो बार सैनीटाईजेन सुनिश्चित किया जाय।** स्कूल परिवहन के साधनों यथा बस, **वैन इत्यादि को सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखने हेतु आधी क्षमता के साथ प्रयोग किये जाये ताकि छात्रो के मध्य अधिकतम भौतिक दूरी बनाये रखने में मदद हो सके।**
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आम सार्वजनिक स्थानों पर कीटाणुशोधन पर दिशानिर्देश http/www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelineson

A. Diwak
24/X/22.

disnfectionofcommonpublicplacesincludingoffices.pdf पर उपलब्ध हैं जिनका अनुपालन हेतु संदर्भ लिया जा सकता है। **(छायाप्रतियां संलग्न)**

ख) **<u>विभिन्न कार्य दलों का गठन</u>**

- कार्य दल जैसे आपात देखभाल सहायता/प्रतिक्रिया दल, सभी हितधारकों के लिए सामान्य सहायता दल, वस्तु सहायता दल, स्वच्छता निरीक्षण दल, आदि का निर्दिष्ट दायित्वों के साथ गठन करना उपयोगी होगा।
- इन कार्य दलों के सदस्य होने के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले शिक्षकों, छात्रों और अन्य हितधारकों की पहचान की जाए जो संयुक्त रूप से नीतिपरक और तत्काल कार्रवाई कर सकें।

ग) **<u>सीटिंग प्लान</u>**

- स्वास्थ्य मंत्रालय के सुझाव के अनुसार, संशोधित सीटिंग प्लान में छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। छात्रों के बैठने के स्थान को चिन्हित करना उपयुक्त होगा।
- यदि सिंगल सीटर डेस्क हैं तो कक्षा में डेस्कों के बीच स्थान छोड़कर 6 फीट की शारीरिक/सामाजिक दूरी बनाना ही प्रभावी होगा। यदि बेंच इस्तेमाल किए जा रहे हों तो 'वन चाइल्ड वन बेंच' पर विचार किया जा सकता है।
- इसी प्रकार से स्टाफ रूम, कार्यालय क्षेत्र, और जन संपर्क के अन्य स्थानो पर शारीरिक/सामाजिक दूरी बनाए रखी जाए।
- बच्चों की सुरक्षा और सामाजिक दूरी के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए यदि, उपलब्ध हो तो, अस्थायी स्थान या आउटडोर स्थान (अच्छे मौसम में) का उपयोग कक्षाएं चलाने में किया जा सकता है।
- स्टाफ रूम और अन्य उपलब्ध कक्षों/हाल में शिक्षकों के लिए पर्याप्त दूरी के साथ सीटें निर्धारित की जाएँ।
- रिसेप्शन क्षेत्र में सीटों की संख्या उनके बीच कम से कम 6 फीट की दूरी के साथ सीमित हो सकती है।

घ) **<u>स्कूल के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर शारीरिक/ सामाजिक दूरी सुनिश्चित करें</u>**

- विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के लिए प्रवेश और निकास के समय को अलग-अलग रखना।
- आने और जाने के लिए अलग-अलग लेन निर्धारित करना।
- प्रवेश और निकास के समय सभी गेट खोलना, यदि स्कूल में एक से अधिक गेट है और भीड़ से बचने के लिए प्रत्येक गेट के लिए कक्षाएं निर्धारित करना।

A. Diwak
24/X/20

- शारीरिक / सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए माता-पिता/अभिभावकों और छात्रों के मार्गदर्शन के लिए सार्वजनिक घोषणा प्रणाली के माध्यम से घोषणाएँ करना।

ड) <u>क्षेत्रों के दिशानिर्देशों के आधार पर स्कूल एसओपी</u>

- स्कूलों को सुरक्षा और शारीरिक / सामाजिक दूरी के मानकों को ध्यान में रखते हुए, दिशानिर्देशों के आधार पर अपना एसओपी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, और यह सुनिश्चित करना कि इसमें अभिभावकों के लिए **चिकित्सा विभाग द्वारा प्रसारित एवं अनुमन्य नोटिस / पोस्टर / संदेश / पत्र/पम्फलेट** स्पष्ट रूप से प्रदर्शित / प्रसारित किए गए हैं:
    - खेल का मैदान, पुस्तकालय और प्रयोगशाला का उपयोग
    - ब्रेक टाइम
    - स्कूल अवसंरचना की नियमित सफाई और कीटाणुशोधन
    - स्कूल परिवहन का उपयोग
    - निजी पिक अप और ड्रॉप ऑफ सुविधा
    - कर्मचारियों और छात्रों दोनों की अनुपस्थिति के लिए निगरानी और योजना
    - भागीदारों के साथ सूचना साझाकरण प्रणाली
    - आपातकालीन स्थिति से निपटना
    - सेवा प्रदाताओं, माता-पिता और अन्य आगंतुकों का स्कूल में आना

च) <u>शारीरिक / सामाजिक दूरी और सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए संकेत और चिह्न प्रदर्शित करना -</u>

- स्कूल में उपयुक्त स्थानों पर पोस्टर / संदेश / स्टिकर और संकेत प्रदर्शित करना, जो छात्रों को कक्षा , पुस्तकालय के भीतर, वाशरूम के बाहर, हाथ धोने के स्थानों, पेयजल क्षेत्रों, स्कूल के रसोईघर, हॉल, कक्षा-कक्षों, बसों/ कैब पार्किंग, प्रवेश और निकास जैसी जगहों पर शारीरिक / सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में याद दिलाने वाला हो।
- थूकने पर प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जाएगा।
- रिसेप्शन, पानी की सुविधा वाले स्थान, हाथ धोने वाले स्थान, वॉशरूम के बाहर के क्षेत्र, और अन्य क्षेत्रों जैसे विभिन्न स्थानों पर जमीन पर सर्कल चिह्नित करना।
- शारीरिक दूरी के लिए स्कूल में सभी संभावित स्थानों पर आने और जाने के लिए अलग-अलग लेन को तीर से चिह्नित करना

A. Diwan
24/X/20

- **विद्यालयों में प्रार्थना कक्षा कक्षों में ही की जायेगी तथा किसी प्रकार की खेलकूल गतिविधियां, तैराकी सम्बन्धी गतिविधियां एवं मनोरंजन सम्बन्धी गतिविधियां नही की जायेगी।**

छ) <u>अलग-अलग समय सारिणी - कुछ विकल्प:</u>

- शारीरिक/सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने का एक तरीका यह है कि विभिन्न कक्षाओं के लिए योजनाबद्ध तरीके से लचीला, भिन्न-भिन्न समय और कम समय निर्धारित किया जाए ताकि अन्य दिशा-निर्देशों के साथ-साथ शारीरिक / सामाजिक दूरी बनी रहे।
- नामांकन के आधार पर, वैकल्पिक दिनों में, या सप्ताह में हर दो दिन, और घर से असाइनमेंट के साथ संयोजन के आधार पर स्कूल में उपस्थित होने के लिए केवल कुछ प्रतिशत छात्रों से कहना, एक अन्य तरीका हो सकता है।
- वैकल्पिक रूप से, उपस्थिति के लिए एक साप्ताहिक कक्षावार समय सारिणी हो सकती है। सभी कक्षाओं के बच्चों को हर दिन स्कूल आने की आवश्यकता नहीं है।
- कक्षाओं के लिए सम-विषम-सूत्र भी अपनाया जा सकता है।
- उच्च नामांकन वाले स्कूलों के मामले में स्कूल की प्रति पारी स्कूल समय अवधि को कम करते हुए दो शिफ्टों में स्कूल चलाने पर विचार किया जा सकता है, जिससे स्कूल समग्र स्कूल अवधि के लिए शिक्षकों के एक ही सेट के साथ प्रबंधन करने में सक्षम हो सके।
- यदि कक्षा का आकार छोटा है, तो कक्षाओं को बड़े कमरे जैसे कंप्यूटर कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि में रखा जा सकता है, जिसमें छात्रों के बीच 6 फीट की शारीरिक दूरी हो सके।

ज ) <u>स्कूली आयोजन, एकत्र होना, बैठकें, आदि।</u>

- स्कूलों को ऐसे स्कूली आयोजन नहीं करने चाहिए जहाँ शारीरिक / सामाजिक दूरी संभव नहीं है।
- स्कूलों में कार्यक्रमों और उत्सव समारोहों के आयोजन से बचा जाना चाहिए।
- हालांकि, स्कूल असेंबली का संचालन कक्षा शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों द्वारा उनके संबंधित कक्षाओं या आऊटडोर स्थानों या अन्य उपलब्ध स्थानों और हॉल में किया जा सकता है।
- इसी तरह, यदि संभव हो, तो वर्चुअल अभिभावक-शिक्षक मीटिंग की व्यवस्था की जा सकती है।

A. Diwak
24/X/20

- नई कक्षाओं में दाखिले की प्रक्रिया के दौरान, केवल माता-पिता / अभिभावकों से परामर्श किया जा सकता है। जहां तक संभव हो बच्चों को माता-पिता के साथ आने देना नहीं चाहिए।
- जहां कहीं भी संभव हो, दाखिला ऑनलाइन आयोजित करने का प्रयास किया जा सकता है।

झ ) माता-पिता / अभिभावक की सहमति

- माता-पिता / अभिभावकों से अपने बच्चे / वार्ड को स्कूलों में आने देने से पहले सहमति लेनी चाहिए।
- माता-पिता की सहमति से घर से पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।
- ऐसे सभी छात्रों के अधिगम परिणामों की प्रगति पर निगरानी के लिए उपयुक्त योजना बनाई जा सकती है।
- **अभिभावकों से लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों को भौतिक रूप से विद्यालय में अध्ययन हेतु बुलाया जायेगा, जो अभिभावक लिखित सहमति नही देते है उनके बच्चों को पूर्व की भांति ऑनलाईन शिक्षण सुनिष्चित करने की जिम्मेदारी सम्न्धित विद्यालय की होगी ।**

ञ) कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों और उनकी भूमिका के संबंध में छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, को जानकारी देना :

- कोविड-19 के संबंध में समय-समय पर प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/एस0ओ0पी0 तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों को सभी हितधारकों के साथ साझा कर सकते हैं। हितधारकों की जागरूकता के लिए सुझावात्मक नीतियाँ **संलग्नक -ख** में दी गई है
- स्कूलों को फिर से खोलने से पहले, कोविड के प्रति उपयुक्त व्यवहार के संबंध में ऑनलाइन / ऑफलाइन मोड अर्थात पैम्फलेट, पत्र, गांवों, शहरी वार्डों आदि में सार्वजनिक घोषणा प्रणाली के माध्यम से शिक्षकों, अभिभावकों, कर्मचारियों और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों को जानकारी देने की व्यवस्था की जा सकती है, जैसे
  - हाथ की स्वच्छता, श्वसन स्वच्छता और बार-बार छुए जाने वाले सतहों के कीटाणुशोधन सहित आवश्यक 'क्या करें' और 'क्या न करें'
  - शारीरिक दूरी बनाए रखना
  - कोविड-19 की रोकथाम के लिए आवश्यक स्वच्छता अभ्यास

A.Diwak
24/X/22

- ➢ कोविड-19 से जुड़ी मिथ्या धारणाएँ
- ➢ बुखार का पता लगाने के लिए थर्मल जांच
- ➢ लक्षण होने पर स्कूल जाने से बचें और चिकित्सा देखभाल करना।

- कंटेनमेंट क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारी और छात्र तब तक स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में उपस्थित नहीं होंगे, जब तक कि कंटेनमेंट ज़ोन को कंटेनमेंट क्षेत्र से हटा नहीं दिया जाता है।
- छात्रों और कर्मचारियों को सलाह दी जाएगी कि वे कंटेनमेंट ज़ोन के भीतर आने वाले इलाकों में न जाएँ।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सिफ़ारिशों का अनुपालन किया जाना है अर्थात "अधिक रिस्क वाले सभी कर्मचारी जैसे जिनकी आयु अधिक है, गर्भवती महिलाएं और संवेदनशील स्वास्थ्य वाले कर्मचारी विशेष ध्यान रखें। जहां तक हो सके उन्हे छात्रों के साथ सीधे संपर्क के लिए अपेक्षित कोई फ्रंटलाइन कार्य न दिया जाए।

ट ) <u>चिकित्सा सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना</u>

- छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए स्कूल में या संपर्क दूरी पर पूर्णकालिक प्रशिक्षित स्वास्थ्य देखभाल अटेंडेंट / नर्स / डॉक्टर और काउंसलर की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- छात्रों और शिक्षकों की नियमित स्वास्थ्य जांच का आयोजन किया जा सकता है।

ठ) <u>स्कूल की उपस्थिति और बीमारी अवकाश नीतियों को फिर से परिभाषित करना:</u>

- उपस्थिति को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, और पूरी तरह से माता-पिता की सहमति पर निर्भर होना चाहिए।
- बीमार होने पर छात्रों और कर्मचारियों को घर पर रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु लचीली उपस्थिति और बीमारी अवकाश नीतियां तैयार की जा सकती हैं।
- पूरी उपस्थिति के लिए पुरस्कार और प्रोत्साहन को हतोत्साहित किया जा सकता है।
- महत्वपूर्ण स्कूल की भूमिकाओं के लिए वैकल्पिक कर्मचारियों की पहचान की जा सकती है और उनकी नई भूमिकाओं के लिए ओरिएंटेशन दिया जा सकता है।

A.Diwakr
24/X/22

ड) <u>शैक्षणिक कैलेंडर:</u>

- सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक कैलेंडर में बदलाव की योजना, विशेष रूप से ब्रेक और परीक्षा के संबंध में।
- अधिक विस्तार के लिए शारीरिक/सामाजिक दूरी के साथ अधिगम संबंधी खंड देखें।

ढ) <u>पाठ्यपुस्तकों तक पहुंच:</u>

- सुनिश्चित करें कि सभी छात्रों को स्कूल के पुनः खुलने से पहले निर्धारित पाठ्यपुस्तकों तक पहुंच प्राप्त हो।

ण) <u>सूचना एकत्र करना:</u>

- छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से:
  अपनी स्वास्थ्य स्थिति, आरोग्यसेतु स्वास्थ्य मूल्यांकन, हाल ही में विदेश या अंतर-राज्यीय यात्रा के संबंध में स्व-घोषणा के रूप में, और तय करें कि व्यक्ति को स्कूल आने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए ।
- स्थानीय प्रशासन से:
  आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश और जिले के हेल्पलाइन और निकटतम कोविड केंद्र और अन्य संपर्क विवरणों के बारे में।

## II. <u>स्कूलों के खुलने के बाद पालन की जाने वाली स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल संबंधी मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी)</u>

क) <u>स्कूल परिसर में और आसपास साफ-सफाई एवं स्वच्छता स्थिति का निरंतर रखरखाव और निगरानी सुनिश्चित करना</u>

- स्कूल परिसर को रोजाना साफ किया जाना चाहिए और साफ किए गए क्षेत्रों के दैनिक रिकॉर्डों का रख-रखाव किया जा सकता है।
- ध्यान दें कि छात्रों को स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से किसी भी सफाई गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- पर्यावरण की सफाई और परिशोधन प्रक्रियाओं के अनुपालन के साथ-साथ जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। कचरा प्रबंधन (मास्क,इस्तेमाल किए गए टिशू आदि सहित बायो मेडिकल कचरे सहित) के लिए सीपीसीबी दिशानिर्देशों (*https;/cpcb.nic.in/uploads/projects /Bio-medical-waste/BMW-GUIDELINES-COVID 1.pdf* पर उपलब्ध) का पालन करना आवश्यक है।

A.Diwan
24/X/20

- कक्षा के अंदर और बाहर आमतौर पर छूए जाने वाले सतह जैसे दरवाजे के नॉब और सिटकनी आदि की लगातार सफाई और स्वच्छता कार्य किया जाए।
- विशेष रूप से प्रायः स्पर्श की गई सतहों/वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हूए सभी अधिगम शिक्षण सामग्री जैसे अधिगम सामग्री, शिक्षण सहायता, खेल सामग्री, झूले, डेस्क, कुर्सियां, कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, टैबलेट आदि का किटाणुशोधन ।
- सभी कचरे को डस्टबिन में निपटाया जाना चाहिए और स्कूल परिसर में कहीं और ढेर लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- सभी डस्टबिन को अच्छी तरह से साफ और कवर किया जाना चाहिए। कचरे के अंतिम सुरक्षित निपटान के लिए प्रोटोकॉल होना चाहिए।
- सभी हाथ धोने की सुविधा वाले स्थानों पर साबुन और साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसकी निगरानी चिन्हित अथवा नामित कर्मचारियों / छात्रों द्वारा की जा सकती है।
- यदि संभव हो, तो स्कूल के रिसेप्शन और प्रवेश द्वार जैसे प्रमुख स्थानों पर एल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र रखा जा सकता है।
- स्कूल के घंटों के दौरान वॉशरूम की बार-बार सफाई और कीटाणुशोधन सुनिश्चित किया जाए।
- शारीरिक / सामाजिक दूरी मानदंडों का पालन करते हूए नियोजित प्रोटोकॉल के अनुसार नियमित अंतराल पर सभी छात्रों और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रुप से हाथ धोना सुनिश्चित किया जा सकता है। कम से कम 40 सेकंड तक हाथ धोने चाहिएं ।
- छात्रों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। छात्रों द्वारा पानी की बोतलें लाने को प्रोत्साहित किया जाए।
- स्कूल खुलने से पहले और छात्रों के कक्षा और स्कूल परिसर से बाहर जाने के बाद सेनिटाइजेशन किया जाए।

**ख) <u>छात्रों का स्कूल में सुरक्षित रहना</u>**

- सभी छात्रों और शिक्षकों को स्कूल में एक फेस कवर/मास्क पहनकर आना है और उसको हर समय पहने रहना है, विशेषकर कक्षा में, या समूहों में कोई गतिविधि करते समय, जैसे मेस में खाना खाते समय, प्रयोगशालाओं में काम करते समय या पुस्तकालयों में पढते समय।
- बच्चों को अपना मास्क दूसरों के साथ आदान-प्रदान ना करने के लिए शिक्षित करना सुनिश्चित करें।

A. Diwan
24/X/20

- जहां तक संभव हो स्कूल छात्रों और स्टाफ सदस्यों दोनों के लिए उपस्थिति,कक्षा में भागीदारी, आनलाइन प्रस्तुतियां सहित अधिगम और मूल्यांकन के लिए संपर्करहित प्रक्रिया अपना सकते हैं।
- छात्रों और स्टाफ की सरल स्वास्थ्य जाँच दैनिक रूप से की जा सकती है और अद्यतन स्थिति का रख-रखाव किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक बच्चे के लिए टिशू या कोहनी में खांसना या छींकना सीखने की आवश्यकता है और चेहरा, आंख, मुंह, और कान को छूने से बचना है।
- थूकने पर प्रतिबंध के बारे में सभी हितधारकों को जागरूक करें।
- सफाई स्टाफ/कार्मिकों के लिए आवश्यक उपकरण जैसे दस्ताने, फेस कवर/मास्क, हाथ धोने का साबुन आदि की उपलब्धता।
- छात्रों को (जिन्हें मध्याह्न भोजन नहीं परोसा जाता हैं) घर का पका हुआ पौष्टिक भोजन लाने और दूसरों के साथ भोजन और बर्तन साझा करने से बचने के लिए प्रोत्साहित करें।
- किसी भी बाहरी विक्रेता को स्कूल परिसर के भीतर या प्रवेश द्वार/बिंदु पर कोई भी खाने की चीज बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- इन निर्देश और सलाह को देते समय बच्चों की कम आयु को ध्यान में रखते हुए इस तरह से समझाया जाए कि वे समझ सकें।
- यदि कुछ बच्चे निर्देशो का पालन नहीं कर रहे हैं, तो शिक्षको की सहायता के लिए अभिभावकों को विश्वास में लिया जा सकता है।
- विभिन्न स्थानों पर शारीरिक/सामाजिक दूरी मानदंड और छात्रों के व्यवहार जैसे बार-बार अपने चेहरे को छूना या अन्य छात्रों के साथ हाथ मिलाना आदि की निगरानी के लिए रोटेशन के आधार पर शिक्षकों और इच्छुक छात्रों (कक्षा 6 से अभिभावकों की सहमति के साथ) के उत्तरदायित्व दें।

ग) <u>छात्रों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना</u>

- स्कूल परिवहन का कम से कम दो बार बच्चों के वाहन में चढने से पहले और उतरने के बाद नियमित रूप से सेनीटाइजेशन करना।
- स्कूल ड्राइवर और कंडक्टर हर समय शारीरिक दूरी बनाए रखे और बस/कैब में छात्रों के बीच शारीरिक सामाजिक दूरी सुनिश्चित करें।
- बैठने के दौरान 6 फीट की न्यूनतम शारीरिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए स्कूल समय/शिफ्टों को अलग-अलग करना आवश्यक हो सकता है। जहां संभव हो, अधिक बसों की व्यवस्था की जा सकती है।
- यदि संभव हो तो, बस कंडक्टर द्वारा बच्चों को बस में चढते समय उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा सकती है।

A. Diwak 24/X/2020

- सभी यात्रियों को बस/कैब में फेस कवर/मास्क पहनाना होगा/स्कूल परिवहन को बिना मास्क वाले बच्चों को बसों में चढने की अनुमति नहीं देना चाहिए।
- बस/कैब में खिडकियों पर कोई पर्दा नहीं होना चाहिए।
- अधिनामत सभी खिडिकियां खुली रखें।
- वातानुकूलित बसों/कैबों को सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का (जो: https://cpwd.gov.in/WriteReadData/other_cir/45567.pdf.) पर उपलब्ध है, पालन करना होगा जिसमें 24-30°सी पर तापमान निर्धारण और ताजी हवा के सेवन के प्रावधान के साथ 40-70% पर सापेक्ष आद्रता शामिल है।
- छात्रों को वाहन में चढते और उतरने समय उचित दूरी रखते हुए शांति से अपनी बारी की प्रतीक्षा करने की सलाह दी जा सकती है।
- जहां तक संभव हो, अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल छोडने के लिए अपने व्यक्तिगत वाहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- सार्वजनिक वाहन के माध्यम से स्कूल जाने वाले छात्रों को स्कूलों द्वारा सभी सावधानियां जैसे शारीरिक/सामाजिक दूरी, नाक और मुंह को फेस कवर/मास्क से ढकना, किसी भी सतह को छूने पर हाथ साफ करना आदि बरतने के लिए पर्याप्त रूप से निर्देशित किया जाना चाहिए।
- जहां तक संभव हो किसी कैब या कार पूलिंग को हतोत्साहित किया जा सकता है।

(घ) <u>छात्रों और स्टाफ के सुरक्षित आगमन और प्रस्थान के लिए सुरक्षित स्कूल व्यवहारों को लागू करना</u>

- स्कूल आने और स्कूल से जाते समय, दोनों में शारीरिक/सामाजिक दूरी मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। स्कूल में प्रवेश और स्कूल के भीतर लाइन लगाते समय न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखनी चाहिए।
- छात्रों को स्कूल द्वारा तैयार समय-सारणी जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, के अनुसार या रोटेशन आधार पर या वैकल्पिक दिनों पर स्कूल आना होगा।
- अलग-अलग कक्षाओं के लिए अलग-अलग आगमन और प्रस्थान समय होना चाहिए।
- यदि स्कूल में एक से अधिक गेट हैं, तो प्रवेश और निकास के लिए सभी गेटों का उपयोग किया जाना चाहिए।

A. Diwak
24/X/20

- स्कूलों के बाहर वाहनों की भीड से बचने के लिए यातायात को विनियमित करने में ट्रैफिक पुलिस या समुदाय से स्वयंसेवकों की सहायता ली जा सकती है।
- स्कूल में प्रवेश से पहले स्टाफ सदस्यों सहित सभी की बुखार/खांसी और सांस लेने में तकलीफ की स्क्रीनिंग।
- सभी द्वारा स्वास्थ्य की स्व-निगरानी और किसी भी बिमारी की जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाइन तथा स्कूल प्राधिकारियों को सूचना देना।
- स्कूल प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रबन्धक को बिमारी के कारण छुट्टी पर रहने की अनुमति देंगे, इस सलाह के साथ कि वे ठीक होने पर या जल्द से जल्द अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें क्योंकि स्कूल को बच्चों जो शिक्षा के लिए स्कूल आना शुरू कर चुके हैं, के लिए इस कठिन समय में उनकी सेवाओं की आवश्यकता है।
- अभिभावकों को व्यकितगत स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और वर्दी की स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जा सकता है और यह जानकारी पत्रों, ईमेल या किसी अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से पहले ही परिचालित की जा सकती है।
- अभिभावकों को जागरूक होना चाहिए कि यदि बच्चे को या उसी घर में रहने वाले परिवार के किसी सदस्य को बुखार/खांसी/सांस लेने में तकलीफ आदि है, तो उन्हें अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। इसी प्रकार संवेदनशील मेडिकल स्थिति वाले बच्चों को उनके संबंधित चिकित्सक के परामर्श के अनुसार समुचित सावधानी बरतनी चाहिए।
- विद्यालय अभिभावकों से घोषणा पत्र प्राप्त करने पर भी विचार कर सकते हैं कि उनके बच्चों के स्कूल आना शुरू करने से पहले उनका कोई भी पारिवारिक सदस्य कोविड-19 या बुखार/खांसी /सांस लेने में तकलीफ आदि से पीडित नहीं है।
- मोबाइल फोन रखने वाले बच्चों, अभिभावकों और स्टाफ सदस्य को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह भी दी जा सकती है।
- सभी सुरक्षा मानदंडों का पालन करने के लिए छात्रों और साथ आने वाले अभिभावकों के संवेदीकरण के लिए घोषणा की जा सकती है।
- छात्र और शिक्षक की अनुपस्थिति पर नजर रखने और सामान्य अनुपस्थिति पद्धति के विरूद्ध तुलना करने के लिए स्कूल की उपस्थिति की निगरानी की जा सकती है। सांस की बिमारियों के कारण अनुपस्थिति रहने पर गहन नजर रखी जानी चाहिए।

A. Diwan
24/X/20

ड) <u>कक्षाओं और अन्य स्थानों पर सुरक्षा मानदंड सुनिश्चित करना</u>

- स्कूल के साथ-साथ बाहरी परिसरों में एक उचित भीड प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा।
- शिक्षक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि छात्र कक्षाओं, प्रयोगशालओं, पुस्तकालयों, खेल के मैदान या स्कूल परिसर के किसी अन्य भाग में चिह्नित/आवंटित सीटों पर शारीरिक सामाजिक दूरी कायम रखते हुए और फेस कवर/मास्क पहनते हुए बैठें।
- खेल-कूद, संगीत, नृत्य या अन्य प्रदर्शन कला कक्षाओं में समूह गतिविधियों की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब स्वास्थ्य सुरक्षा मानदंडों का पालन करना और शारीरिक दूरी बनाए रखना व्यवहार्य हो।
- व्यावहारिक कार्य शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए छोटे समूहों में किया जाना चाहिए।
- छात्रों को एक दूसरे के साथ कोई सामग्री (पाठ्यपुस्तकें, नोटबुक, पैन, पेंसिल, इरेजर, टिफिन बाक्स, वाटर बोटल आदि) साझा नहीं करनी चाहिए।
- अलग-अलग कक्षाओं के लिए अलग-अलग ब्रेक समय दिया जा सकता है।
- छात्रों के बीच भोजन साझा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- शिक्षकों को छात्रों के लिखित कार्य की जांच करते समय फेस कवर/मास्क पहनना होगा। जहां तक संभव हो, आनलाइन कार्य को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- वायुसंचार के लिए कक्षाओं और अन्य कमरों की खिडकियां और दरवाजे खुले होनी चाहिए।
- एलिवेटर और रास्तों में लोगों की संख्या प्रतिबंधित होगी। वैकल्पिक सीढ़ियों में एक व्यक्ति के साथ सीढ़ियों का उपयोग प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- शौचालयों में अधिक भीड से बचने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- छात्रों को लंच/स्नेक्स से पहले और बाद में, हर बार शौचालय और किसी अन्य बाहरी गतिविधियों का उपयोग करने पर हाथ साफ करने चाहिए। 70% एल्कोहोल के साथ हैंड सैनिटाइजर एक विकल्प हो सकता है।
- स्कूल के भीतर एयर कंडीशनिंग के लिए सीपीडब्ल्यूडी मानदंडों का पालन किया जाएगा जिसमें 24-30°सी, की सीमा तक तापमान सेंटिंग, 40-70% की सीमा में सापेक्ष आद्रता और ताजा हवा और क्रास वेंटिलेशन के सेवन का प्रावधान निर्धरित है।
- सभी शारीरिक/सामाजिक दूरी मानदंडों को परिभाषित प्रोटोकाल/एसओपी के अनुसार लागू किया जाएगा।

A. Diwan
24/X/20

च) <u>कोविड-19 के संदिग्ध मामले का पता लगाने के मामले में प्रोटोकाल का पालन किया जाएगा।</u>

- बीमार छात्र या स्टाफ को एक कमरे या क्षेत्र में रखें जहां वे दूसरों से अलग-थलग रहें ।
- ऐसे समय तक मास्क/फेस कवर दें जब तक कि उसकी जांच किसी डाक्टर द्वारा नहीं की जाती है।
- निकटतम चिकित्सा सुविधा (अस्पताल/क्लिनिक) को तुरंत सूचित करें या राज्य या जिला हेल्पलाइन पर कॉल करें।
- नामित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकारी (जिला रैपिड रिस्पांस टीम/उपचार चिकित्सक) द्वारा जोखिम मूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार मामले के प्रबंधन, उसके संपर्कों और कीटाणुशोधन की आवश्यकता के बारे में आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
- यदि व्यक्ति **(शिक्षक/स्टाफ/ छात्रों एवं छात्राओ)** सकारात्मक पाया जाता है, तो परिसर का कीटाणुशोधन किया जाए। **सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य एवं प्रबन्ध तंत्र की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि जनपद के शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को सकारात्मक व्यक्ति के बारे में तत्काल सूचित किया जाये तथा सक्षम स्तर से दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जाये एवं विद्यालय अथवा चिन्हित परिसर को निर्दिष्ट अवधि तक बन्द भी रखा जाय।**
- प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स के अनुसार सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए।

A. Diwedi
24/X/22

## भाग- II

**शारीरिक/सामाजिक दूरी के साथ शिक्षण**

### IV. अपेक्षित शिक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए शिक्षा,शिक्षण और मूल्यांकन को पुनः परिभाषित करना

ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हालाँकि, निम्नलिखित एसओपी का पालन स्कूलों और ऑनलाइन शिक्षण में आमने-सामने की कक्षाओं के लिए किया जा सकता है:

क. स्कूल के पुनः खुलने से पूर्व

क) शिक्षण-शिक्षा की तैयारी: शिक्षा के परिणामों पर ध्यान देने के साथ पूरे वर्ष के लिए गतिविधियों का एक व्यापक वैकल्पिक कैलेंडर बनाना

• स्कूल और घर के बीच कुल स्कूल घंटे को विभाजित करने पर विचार किया जा सकता हैं। यह सुझाव दिया गया है कि निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों पर विचार किया जा सकता है।

(i) स्कूल में घंटों की संख्या

(ii) होम स्कूल आवर्स (सक्रिय शिक्षण) में बिताए गए घंटों की संख्या

(iii) शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में बिताए गए घंटों की संख्या

(iv) कला, और कला-एकीकरण से संबंधित रचनात्मक गतिविधियों पर खर्च किए गए घंटे।

- पाठ्यक्रम को 3 घटकों में युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर सकते हैं:
  (i) कक्षा पाठ - जिसमें आवश्यक विषय शामिल हो सकते हैं, जिन्हें समझना मुश्किल है

A. Diwan
24/X/20

(ii) स्व-शिक्षण पाठ - जिसमें आवश्यक लेकिन अवधारणात्मक रूप से समझने में आसान शामिल हो सकते हैं

(iii) पाठ्यक्रम या अधिगम परिणामों का मुख्य हिस्सा नहीं है - जिसे इस वर्ष अलग रखा जा सकता है

• स्कूल कैलेंडर को विषय-आधारित के बजाय पाठ्यक्रम सीखने के परिणाम-आधारित बनाने की आवश्यकता है; विकेन्द्रीकृत नियोजन मिश्रित/विविध मोड शिक्षा के लिए स्कूल स्तर पर हो सकता है, और बच्चों के मूल्यांकन पर एक स्पष्ट नीति भी हो सकती है।

• व्यापक शैक्षणिक योजना को स्पष्ट रूप से उचित तरीकों और मूल्यांकन के तरीके के साथ स्कूल द्वारा कवर किए जाने वाले विषयों और छात्रों द्वारा घर पर कवर की जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख करना चाहिए।

• यह योजना एनसीईआरटी द्वारा तैयार वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर के दिशानिर्देशों का पालन कर सकती है।

वर्तमान महामारी की स्थिति को देखते हुए, ऑनलाइन शिक्षण और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचे तक असमान पहुंच और सभी अभिभावकों के साथ स्मार्ट फोन की अनुपलब्धता, एनसीईआरटी वैकल्पिक शैक्षिक कलेंडर के साथ सामने आया है जिसमे केवल एक साधारण मोबाइल आवश्यक है जो स्कूल शिक्षक के साथ बच्चे या माता-पिता के बीच संबंध बनाता है, ताकि शिक्षक शुरुआत में माता-पिता या छात्र का मार्गदर्शन कर सकें। बाद में, छात्र माता-पिता या भाई-बहनों की मदद से स्वाध्याय कर सकते हैं।

वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर स्व-अध्ययन के साथ कई शैक्षणिक-निर्देशित शिक्षण पर आधारित है और वेब लिंक http://ncert.nic.in/aac.html पर उपलब्ध हैं। स्कूल इनका संदर्भ ग्रहण कर सकते है।

• प्रत्येक कक्षा के लिए मजेदार गतिविधियों की योजना बनाई जा सकती है क्योंकि छात्र खेलने के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं।

• शिक्षाविधि हस्तक्षेप को शामिल किया जा सकता है जो उन बच्चों के अनुभव के साथ कक्षा की गतिविधियों को जोड़ने पर जोर देता है जो कोविड-19 स्थिति में अपने

A. Diwan
24/X/22

दिन-प्रतिदिन के जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, प्रत्येक कक्षा में प्रदर्शित होने के लिए कोविड-19 सावधानियों से संबंधित आयु संबंधी उपयुक्त जागरूकता पोस्टर तैयार करें। ये पोस्टर स्थानीय भाषा/हिंदी/अंग्रेजी या इन सभी भाषाओं में हो सकते हैं। कुछ पोस्टरों में ग्राफ शामिल हैं, कोरोना कैसे फैलता है इसके बारे में डेटा न केवल जागरूकता के लिए उपयोगी हो सकता है, बल्कि उच्च कक्षाओं में एक शिक्षण उपकरण के रूप में भी काम करता है। इससे शिक्षकों को पर्यावरण अध्ययन, भाषा, गणित और विज्ञान जैसे विषय क्षेत्रों के साथ छात्रों के दिन प्रतिदिन के अनुभवों को जोड़ने में मदद मिलेगी।

• जब भी संभव हो स्कूलों के माध्यम से शिक्षकों द्वारा इस माध्यम पर सामुदायिक रेडियो और ऑडियो कक्षाओं के लिए व्यवस्था की जा सकती है।

•रिसीव-ओनली-टर्मिनलों (आरओटी), टेलीविजन, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, आदि, यदि उपलब्ध हो, तो स्कूल को फिर से खोलने से पहले मरम्मत और कार्यात्मक हो। शिक्षकों की कमी के मामले में छात्र को इन गैजेट्स के साथ जोड़ा जा सकता हैं।

• रुब्रिक्स के साथ मूल्यांकन योजना तैयार की जा सकती है।

• आवधिक परीक्षा, मध्यावधि और अंतिम परीक्षा के प्रारूप को स्थिति की मांग और दिनों की संख्या और समायोजित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जा सकता है।

• यह सलाह दी जाती है कि छात्रों का भावनात्मक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के पहले दो-तीन हफ्तों में स्कूल को छात्र शिक्षा के किसी भी मूल्यांकन की योजना नहीं बनानी चाहिए।

- इसके अलावा, गैर-तनावपूर्ण मूल्यांकन से अधिगम अंतराल की पहचान करने की योजना बनाई जा सकती है, अर्थात यह जानने के लिए कि घर-आधारित स्कूली शिक्षा के दौरान छात्रों ने कितना सीखा है।
- रोल प्ले, कोरियोग्राफी, क्लास क्विज़, पज़ल्स और गेम्स, ब्रोशर डिज़ाइनिंग, प्रेज़ेंटेशन, जर्नल्स, पोर्टफोलियो इत्यादि के रूप में मूल्यांकन को नियमित पेन-पेपर टेस्टिंग से अधिक वरीयता दी जा सकती है।

ख. स्कूल पुनः खुलने के बाद

क) शिक्षण अधिगम प्रक्रिया: शिक्षार्थी-अनुकूल विद्यालय और कक्षा वातावरण

A. Diwali
24/x/2r

- पुनः खुलने पर, स्कूल में छात्रों के पुनः एकीकरण को प्राथमिकता के आधार पर लिया जा सकता है ।
- शिक्षकों को कोविड-19 और संबंधित मिथकों, सामाजिक कलंक और आशंकाओं के बारे में सभी छात्रों से बात करनी चाहिए और उन्हें सचेत करना चाहिए।
- सामान्य स्थिति होने तक उपस्थिति में लचीलापन हो सकता है । प्रत्येक कक्षा में महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक के रूप में, छात्रों को खुद को स्कूल में प्रवेश / निकास / अवधि के लिए करने वाले और नहीं करने वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और अपने घरों पर पालन करने के लिए एक अभिनव प्रतिज्ञा तैयार करने और लेने के लिए कहा जा सकता है । इस पर चिंतन करने के लिए स्कूल कार्यक्रम के दौरान समय आवंटित किया जा सकता है।
- शारीरिक / सामाजिक दूरी बनाए रखने के बावजूद स्वास्थ्य, सामाजिक और भावनात्मक संबंध सुनिश्चित करने के लिए देखभाल की जानी चाहिए ।
- बच्चों को किताबें, कापियां आदि साझा करने से हतोत्साहित किया जा सकता है , और वे इस तरह से एक दूसरे की मदद करेंगे ताकि बीमारी फैलने के जोखिम को कम किया जा सके। पूरी तरह से संवेदनशीलता और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर (कुछ दिनों के लिए) कोविड -19 से सुरक्षित रखने के तरीके पर सुरक्षा अभ्यास किया जा सकता है ।
- कुछ योगिक अभ्यास बच्चों को तनावरहित बनाने के लिए कक्षा में कराये जा सकते है उदाहरण के लिए:
    - कक्षा 6 से आगे तक के बच्चों के लिए कुछ सरल आसन जैसे ताड़ासन, वृक्षासन
    - यदि बैठने की जगह उपलब्ध हो तो स्वस्तिकासन , वज्रासन , आदि का आयोजन कक्षा 6 से आगे तक के बच्चों के लिए किया जा सकता है।
    - अन्य सांस लेने का अभ्यास जैसे कपालभाति, अनुलोम-विलोम , प्राणायाम भी करवाए जा सकते हैं ।
- ईवीएस, भाषा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, कला जैसे विभिन्न विषय क्षेत्रों के शिक्षण में विभिन्न अवधारणाओं को एकीकृत करके महामारी के बारे में बच्चों को जागरूक किया जा सकता है; कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

A. Diwan
24/X/20

- पोस्टर, दृश्यों, वीडियो या अन्य मीडिया का यह दिखाने के लिए उपयोग करें कि संक्रमण से अपनी सुरक्षा कैसे करें और उन्हें मीडिया के मूल्य के बारे में सिखायें और कैसे नकली खबर से असली खबर में भेद करें ।
- कम से कम 40 सेकेंड तक सही तरीके (स्कूल पहुँचने के बाद, शौचालय जाने के बाद, भोजन करने से पहले, कचरा उठाने, पालतू जानवरों और अन्य जानवरों को छूने, बीमार लोगों की देखभाल करने, खांसने और छींकने के बाद साबुन से हाथ धोएं) से हाथ धोने की प्रथाओं को बढ़ावा दें, और उन्हें साबुन की संरचना के बारे में और यह वायरस से कैसे संक्रमणरहित करने में सक्षम है, जागरूक कराएं ।
- प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ भोजन, फल, और नियमित योग करना और शरीर में प्रतिरक्षा-दमन को कम करने में इनकी भूमिका है ।
- शौचालय का उचित और स्वच्छ उपयोग, और यह कैसे ठीक से उपयोग नहीं किये जाने पर बीमारी के प्रसार में सहायक है ।
- लॉकडाउन अवधि के अपने अनुभव को साझा करें और शारीरिक / सामाजिक दूरी के महत्व को समझें ।

• जब छात्र स्कूलों में वर्तमान स्थिति के साथ और शिक्षकों और साथियों के साथ भी सहज महसूस करना शुरू करते हैं, तो शिक्षक सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

ख) <u>जब छात्र स्कूल में होते हैं तो शिक्षण-अधिगम</u>

- जहां तक संभव हो, शिक्षकों को कक्षा में आईसीटी को एकीकृत करने के लिए अपने कौशल को बढ़ाना चाहिए। प्रशिक्षण मॉड्यूल उसी के लिए तैयार किए जा सकते हैं।
- यह संभव है कि सभी छात्र नियमित रूप से स्कूल न आ पायें, जब तक कि महामारी की स्थिति खत्म न हो जाए। इसलिए, शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाने के साथ-साथ घर पर छात्रों के साथ संपर्क बनाये रखने के लिए तैयार होना चाहिए, और तदनुसार अपने शिक्षण तंत्र को अपनाने के लिए भी तैयार होना चाहिए।
- शुरुआत में, शिक्षकों को पाठ्यक्रम के स्पष्ट रोडमैप के बारे में छात्रों से चर्चा करनी चाहिए, अपनाए जाने वाले अधिगम के तरीके (फेस टू फेस

A. Diwak
24/x/20

इंस्ट्रक्शन / इंडिविजुअल असाइनमेंट या पोर्टफोलियो / ग्रुप-बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क / ग्रुप प्रेजेंटेशन इत्यादि के माध्यम से) से कवर किये जाने वाले, इसके लिए लिया जाने वाला समय, स्कूल आधारित मूल्यांकन की तारीखें, ब्रेक आदि की चर्चा करनी चाहिए ।

- शिक्षकों को उन प्रकरण और विषयों को भी स्पष्ट करना चाहिए, जिन्हें कक्षा में लेनदेन / गतिविधियों के माध्यम से शिक्षक द्वारा समझाया जाना आवश्यक है और जिन्हें घर पर छात्रों द्वारा कवर किया जाना है, हालांकि स्कूल में मूल्यांकन किया जाता है।

- शिक्षण संसाधनों के विविध उपयोग को शारीरिक / सामाजिक दूरी और अन्य सुरक्षा मानदंडों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना होगा। संसाधनों में सहकर्मी शिक्षण और सीखने, कार्यपुस्तिकाओं और कार्यपत्रकों का उपयोग, कक्षा में प्रौद्योगिकी-आधारित संसाधनों का उपयोग, माता-पिता / दादा-दादी / बड़े भाई-बहनों को सशक्त बनाना, समुदाय से स्वयंसेवकों की सेवाओं का उपयोग करना आदि शामिल हो सकते हैं।

- कक्षा मे सहयोगी शिक्षण पर अधिक जोर होना चाहिए। इससे बच्चों की मानसिक भलाई पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

- माता-पिता से लगातार प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सम्पर्क को बनाये रखा जाना चाहिए।

- जीवन कौशल को सभी शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, जैसा कि अब, पहले से कहीं अधिक, इन शिक्षार्थियों में आवश्यक होगा। जीवन कौशल, जैसे संचार और सहयोग को समूह प्रस्तुतियों के माध्यम से सीखने की विधि के रूप में विकसित किया जा सकता है । रचनात्मकता और महत्वपूर्ण चिंतन कौशल को विशिष्ट होम-असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क आदि में विकसित किया जा सकता है।

- नियमित होमवर्क दिए जाने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए; इसके बजाय ऐसे काम जो बच्चे में जिज्ञासा और समस्या को सुलझाने की क्षमता विकसित करेंगे, को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, विविधता एक विषय है, जो विषय क्षेत्रों और कक्षाओं में कटौती करता है। ऐसे मामले में होमवर्क अंतःविषय हो सकता है। इसी तरह, रासायनिक प्रतिक्रियाओं, गुरुत्वाकर्षण नियमों आदि को शिक्षक द्वारा एक अवधारणा के रूप में पेश किया जा सकता है और बाद में परियोजनाओं और इससे संबंधित असाइनमेंट को घर पर किया जा सकता है।

A. Diwakar
24/X/22

ग) <u>अन्य बच्चों के साथ विशेष जरूरतों वाले बच्चों की समस्याएँ</u>

- अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के लिए सबसे कमजोर छात्रों (बेघर / विस्थापित छात्रों, विकलांग छात्रों, और कोविड -19 से सीधे प्रभावित परिवार में मृत्यु या अस्पताल में भर्ती छात्रों) पर ध्यान दें।
- विशेष जरूरतों वाले बच्चों के अनुसार सहायक उपकरणों और शिक्षण सामग्री का प्रावधान सुनिश्चित करें ।
- सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई और सुलभ स्वरूपों में सुरक्षा दिशानिर्देश यथासंभव उपलब्ध हैं, जैसे :
  - ➢ दृष्टिहीन बच्चों या जिनकी दृष्टि कम है, के लिए बड़े प्रिंट और हाई कंट्रास्ट जेएडब्ल्यूएस सॉफ्टवेयर, ;
  - ➢ जो बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए आसानी से पढ़ा जाने वाला संस्करण;
  - ➢ पाठ कैप्शन के साथ डिजिटल प्रारूप
  - ➢ श्रवणबाधित बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा
  - ➢ स्क्रीन रीडर जैसी सहायक तकनीकों का उपयोग करने वालों के लिए सुलभ वेब सामग्री
  - ➢ कोविड 19 से संबंधित उपयोगी ऐप्स जैसे आरोग्य सेतु, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर जैसे सहायक तकनीकों के साथ प्रयोग करने योग्य हैं।
  - ➢ वेब पेज, डिजिटल दस्तावेजों और एप्स यूजर इंटरफेस के लिए सामग्री पहुँच दिशानिर्देश 2.1 (डब्लुसीएजी 2.1) सुनिश्चित करें
- <u>स्कूल के पाठ्यक्रम आइकन में "पहुंच" ( http://www.ncert.nic.in/accesstoedu.html ) के तहत एनसीईआरटी वेबसाइट पर मुफ्त ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करें :</u>

  ➢बरखा: यूडीएल और आईई सिद्धांत पर आधारित सभी के लिए एक पठन श्रृंखला। इन कहानियों को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों की सामग्री के साथ जोड़ा जा सकता है

  ➢सभी विषयों में ई- पाठशाला डिजिटल पाठ्यपुस्तकें (कक्षा 9- 12 )

  ➢दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ई- पाठशाला मोबाइल ऐप- "टेक्स्ट टू स्पीच (टीटीएस)"

  ➢ई- पाठशाला मोबाइल स्कैनर ऐप

A. Diwakar
24/x/22

➢समर्पित एप्प के माध्यम से ई पाठशाला एआर / वी.आर. कार्यक्रम

➢ऑडियो कार्यक्रमों के साथ टैक्टाइल मैप बुक

➢ऑडियो बुक्स

➢PM e-vidya चैनल के माध्यम से कक्षा 1 से 12 के विष्यगत व्याख्यानों का प्रसारण

➢दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्र देहरादून से ज्ञानदीप चैनल के माध्यम से कक्षा'6 से 12 तक के विष्यगत व्याख्यानों का प्रसारण

➢ज्ञानदीप डी0डी0 उत्तराखण्ड के youtube चैनल पर भी कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विषयगत व्याख्यान उपलब्ध है

- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में दृष्टिबाधित और श्रवण-बाधित छात्रों के लिए एनआईओएस तैयार सामग्री का उपयोग करें।
- उन बच्चों के लिए सख्त निवारक उपायों का परिचय दें, जो श्वसन के कारण संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हैं या उनकी कमजोरी के कारण अन्य स्वास्थ्य जटिलताएं हैं।
- शिक्षकों और अन्य स्कूल स्टाफ को संकट के संकेतों पर उन बच्चों की पहचान करने और उन्हें सक्षम करने के लिए प्रशिक्षित करें, जिनके पास विशिष्ट मनो-सामाजिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है, या हिंसा के संकेतों के लिए जिन्हें सुरक्षा और सहायता की आवश्यकता हो सकती है ।

घ) छात्रों को घर पर सीखने के लिए तैयार करना

- चूंकि छात्रों का केवल एक भाग ही चक्रीय आधार पर स्कूल में उपस्थित हो सकता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सभी छात्रों के निर्धारित समय में कवर किये जाने वाले उनकी पाठ्यपुस्तकों के साथ-साथ पाठ्यक्रम का विवरण भी दिया जाए।
- शिक्षकों और माता-पिता / छात्रों के पास सप्ताह में किसी तरीके से कम से कम 2 से 3 बार वार्तालाप होना चाहिए ।
- यदि मिश्रित दृष्टिकोण का उपयोग किया जाना है, तो छात्रों को मिश्रित मॉडल का समर्थन करने के लिए विभिन्न तकनीकी उपकरणों की आवश्यकता होगी।

A. Diwan
24/X/20

- डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा पर प्रज्ञता (PRAGHYATA) दिशानिर्देश का उपयोग इस संबंध में शिक्षकों और छात्रों को उन्मुख करने के लिए किया जा सकता है।

1. प्रोजेक्ट- आधारित वर्क, पोर्टफोलियो, रचनात्मक कार्य, आदि, घर से प्रभावी अधिगम जारी रखने के सर्वोत्तम तरीके हैं। अधिक विवरण अगले पैरा में दिए गए हैं ।

- ऑडियो-विज़ुअल ई-कंटेंट को पेन-ड्राइव, सीडी आदि पर लोड किया जा सकता है और दूर-दराज और सुदूर क्षेत्रों में ले जाया जा सकता है जहाँ न तो कोई इंटरनेट / मोबाइल / टीवी नेटवर्क है ।

ङ) <u>शिक्षकों और माता-पिता के मार्गदर्शन में घर पर किए जाने वाले प्रोजेक्ट वर्क , कार्य</u>

- शिक्षक विभिन्न विषयों का चयन कर सकते हैं, जिस पर माता-पिता की सहायता से छात्रों द्वारा घर पर अंतर्विषयक और बहु-विषयक परियोजना का काम और असाइनमेंट किया जाता है।

- अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए बहुत रचनात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए,

  - पिछले एक महीने के लिए अपने घर का खर्च चार्ट बनाएं। विभिन्न श्रेणियों की वस्तुओं और बचत पर खर्च किए गए धन का सारांश बनाएं, साथ ही, यह भी लिखें कि इसमें अगले महीने कैसे सुधार किया जा सकता है(उच्च प्राथमिक- गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान) ।

च) <u>छात्र-अनुकूल मूल्यांकन को बढ़ावा</u>

- शिक्षकों, अभिभावकों और प्रशासकों को सभी शिक्षार्थियों द्वारा सीखने के लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

- हालांकि, मूल्यांकन के प्रारूप को परिवर्तन से गुजरना होगा। परम्परागत पेन-पेपर परीक्षणों को सभी स्तरों पर हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

- स्कूल में, मूल्यांकन अलग-अलग प्रारूप ले सकता है, जैसे कि, रोल प्ले, कोरियोग्राफी, क्लास क्विज़, पहेलियाँ और गेम, ब्रोशर डिज़ाइनिंग, प्रस्तुतियाँ, जर्नल, पोर्टफोलियो, आदि।

A. Diwah
24/x/20

- घर पर, मूल्यांकन के कई तरीके जैसे व्यक्तिगत परियोजना / विचार / प्रयोग / पोर्टफोलियो को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

- मूल्यांकन में उन बातों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाना चाहिए जो छात्रों ने याद रखी हैं, बल्कि इसके बजाय उन्हें दैनिक जीवन से संबंधित स्थितियों में सीखने और महत्वपूर्ण और रचनात्मक सोच को प्रयोग में लाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या उन्होंने कोई समस्या हल की है, यह अधिक महत्वपूर्ण है कि वे इसे हल करने के लिए क्या कदम उठाते हैं, या उन्होंने इसे कैसे हल करने की कोशिश की है।

- घर से पढ़ने वाले छात्रों के लिए, कम-लागत या बिना लागत वाले विकल्पों का पता लगाएं, जो उन प्रतिक्रियाओं / कार्यों को प्रस्तुत करने में सक्षम हों, जिन पर उन्हें शिक्षकों का फीडबैक मिलता है, यदि व्यक्तिगत फीडबैक न मिले शायद सामूहिक रूप से लाभान्वित होने पर, जब शिक्षक को सभी प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करने का मौका मिले। उदाहरण के लिए, शिक्षार्थियों को स्व -जाँच और सहकर्मी समीक्षा को सशक्त बनाना कि क्या उनकी प्रतिक्रियाएँ सही हैं।

- शिक्षक, माता-पिता / देखभाल करने वालों को संक्षिप्त क्विज़ भेजने के लिए टेक्स्ट -या ऑडियो-आधारित संदेशों का उपयोग उनके ग्रेड के लिए पाठ्य सामग्री के सापेक्ष उनकी प्रगति का अनौपचारिक रूप से उपयोग करने के लिए, या यहां तक कि उनके भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए कर सकते हैं, ।

- कुछ चयनित विषय/ मुद्दों के लिए ओपन बुक परीक्षा पद्धति की शुरूआत की जा सकती है।

**छ) *मूल्यांकन पद्धतियों को अनुकूल बनाना***

अवसरंचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, स्कूल/शिक्षक मूल्यांकन पद्धतियों को नीचे सुझायी गई कार्यनीतियों की तर्ज पर अनुकूल बना सकते हैं :-

A.Diwak
24|x|20

1. ऐसे विद्यालय, जहाँ यथोचित रूप से बेहतर आईसीटी समर्थित वातावरण मौजूद है और छात्र डेस्कटॉप, लैपटॉप और स्मार्ट फोन के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं।

- पेन और पेपर से ली जाने वाली परीक्षा का व्यक्तिगत असाइनमेंट,परियोजना कार्य और पोर्टफोलियो जैसे मूल्यांकन के वैकल्पिक तरीकों द्वारा प्रतिस्थापन।
- इन आकलनों के लाभ को छात्रों के साथ अग्रिम रूप से साझा करने की आवश्यकता है। छात्रों को मूल्यांकन मानदंडों को तैयार करने में शामिल किया जा सकता है।
- शिक्षकों को, कक्षावार / विषयवार समूह बनाकर सामूहिक मूल्यांकन और स्व-मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- कुछ संकल्पनाओं / उप विषयों की जानकारी प्राप्त करने के बाद छात्र उसे अपने सीखने के दौरान परिलक्षित कर सकते हैं और एक रिकॉर्ड के रूप में रख सकते हैं।
- शिक्षक मौजूदा उपकरणों का प्रयोग करके प्रतिकियाओं का विश्लेषण करके और इसे विद्यार्थियों के साथ साझा करके, आईसीटी समर्थ मूल्यांकन कर सकते हैं।
- मंचीय विमर्श के आधार पर भी मूल्यांकन किया जा सकता है।

2. ऐसे स्कूल जहां ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन हेतु आंशिक सुविधाएं हैं और छात्र कभी-कभी ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होते हैं।

- शिक्षक प्रश्नोत्तरी तैयार करने के लिए उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं।सोशल मीडिया अथवा मोबाइल के प्लेटफॉर्मों के जरिए छात्रों की प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं।
- छात्र अपने काम जैस कविता रचना, नोट्स की प्रतिलिपि, छोटे चित्र, स्वयं तैयार किए गए प्रश्नों और रचनात्मक उत्तरों का रिकॉर्ड रख सकते हैं। इस सामग्री को शिक्षक सहपाठी समूहों का निर्माण कर सकते हैं और उन्हें यथोचित फीडबैक प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- उचित प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए समूह में साझा किया जा सकता है।
- संकल्पनाओं / विषयों की त्वरित समीक्षा की जाए। आगामी संकल्पनाओं/ विषयों के लिए छात्रों की तैयारियों का पता लगाने के लिए प्रत्येक विषय के लिए प्रश्नोत्तरी और बहु विकल्पी प्रश्नोत्तरी (एमसीक्यू) का आयोजन किया जा सकता है।

A. Tiwari
24/X/2020

3. ऐसे स्कूल जहां कोई आईटीसी समर्थित वातवारण नहीं है और छात्र सीखने की प्रकिया में शामिल नहीं है।

- शिक्षक कक्षा में जारी अध्ययन के बारे में छात्रों और अभिभावकों के साथ टेलीफोन पर बातचीत कर सकते हैं और संवाद पद्धति के माध्यम से छात्रों पर नज़र रख सकते हैं।
- शिक्षक और बच्चे मिलकर अपने लिए अधिक अनुकूल दूसरी वैकल्पिक पद्धतियों के बारे में सुझाव दे सकते हैं जैसे कि विद्यार्थियों के घर पर वर्कशीट भेजना जिनके उत्तर अगले दौर में उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
- बच्चों से उनके लॉकडाउन के दिनों के बारे में पूछा जा सकता है और उनसे कहानी लिखने/स्मृतियां लिखने/ कविता लिखने, अपने अनुभव साझा करने के लिए कहा जा सकता है । यह विशेष रूप से भाषाओं के क्षेत्रों में मूल्यांकन का एक भाग हो सकता है।
- छात्र विभिन्न विषयों पर माता-पिता / बजुर्गा के साथ बातचीत कर सकते हैं और अपनी टिप्पणियों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह भी मूल्यांकन का हिस्सा हो सकता है।
- छात्रों को माता-पिता की मदद से घर पर छोटे प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- स्कूल अपने पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बना सकते हैं और अधिगम परिणामों की प्राथमिकता तय कर सकते हैं। अधिगम की त्रुटियों रूप में मानी जाने वाली भौतिक / पर्यावरणीय कमियों से बचने हेतु मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कार्यनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है।

## V. लॉक डाउन के दौरान घर पर स्कूल की पढ़ाई से लेकर औपचारिक स्कूली शिक्षा तक छात्रों का सुगम अंतरण सुनिश्चित करना

- लॉकडाउन के दौरान घर पर पढ़ाई से लेकर औपचारिक स्कूली शिक्षा तक छात्रों की सुगम अंतरण और भावनात्मक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु स्कूल निम्नलिखित कार्य करने पर विचार कर सकते हैं:

  - निरर्थक शिक्षण अवधि की भरपाई हेतु परिवर्तित स्कूल कैलेंडर और पुनःनिर्दिष्ट वार्षिक पाठ्यक्रम योजना (एसीपी) का कार्यान्वयन
  - शिक्षकों को अपनी शिक्षण योजनाओं को तदनुसार बदलने में समर्थ बनाने हेतु स्कूल लौटने पर प्रत्येक छात्र का अनौपचारिक तरीकों से मूल्यांकन

A. Diwan
24/X/20

3. ऐसे स्कूल जहां कोई आईटीसी समर्थित वातवारण नहीं है और छात्र सीखने की प्रकिया में शामिल नहीं है।

- शिक्षक कक्षा में जारी अध्ययन के बारे में छात्रों और अभिभावकों के साथ टेलीफोन पर बातचीत कर सकते हैं और संवाद पद्धति के माध्यम से छात्रों पर नज़र रख सकते हैं।
- शिक्षाक और बच्चे मिलकर अपने लिए अधिक अनुकूल दूसरी वैकल्पिक पद्धतियों के बारे में सुझाव दे सकते हैं जैसे कि विद्यार्थियों के घर पर वर्कशीट भेजना जिनके उत्तर अगले दौर में उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
- बच्चों से उनके लॉकडाउन के दिनों के बारे में पूछा जा सकता है और उनसे कहानी लिखने/स्मृतियां लिखने/ कविता लिखने, अपने अनुभव साझा करने के लिए कहा जा सकता है । यह विशेष रूप से भाषाओं के क्षेत्रों में मूल्यांकन का एक भाग हो सकता है।
- छात्र विभिन्न विषयों पर माता-पिता / बजुर्गों के साथ बातचीत कर सकते हैं और अपनी टिप्पणियों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह भी मूल्यांकन का हिस्सा हो सकता है।
- छात्रों को माता-पिता की मदद से घर पर छोटे प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- स्कूल अपने पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बना सकते हैं और अधिगम परिणामों की प्राथमिकता तय कर सकते हैं। अधिगम की त्रुटियों रूप में मानी जाने वाली भौतिक / पर्यावरणीय कमियों से बचने हेतु मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कार्यनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है।

## V. लॉक डाउन के दौरान घर पर स्कूल की पढ़ाई से लेकर औपचारिक स्कूली शिक्षा तक छात्रों का सुगम अंतरण सुनिश्चित करना

- लॉकडाउन के दौरान घर पर पढ़ाई से लेकर औपचारिक स्कूली शिक्षा तक छात्रों की सुगम अंतरण और भावनात्मक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु स्कूल निम्नलिखित कार्य करने पर विचार कर सकते हैं:

  - निरर्थक शिक्षण अवधि की भरपाई हेतु परिवर्तित स्कूल कैलेंडर और पुन:निर्दिष्ट वार्षिक पाठ्यक्रम योजना (एसीपी) का कार्यान्वयन
  - शिक्षकों को अपनी शिक्षण योजनाओं को तदनुसार बदलने में समर्थ बनाने हेतु स्कूल लौटने पर प्रत्येक छात्र का अनौपचारिक तरीकों से मूल्यांकन

A. Diwan
24/X/20

- विशेष आवश्यकता वाले तथा लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं नहीं ले सके बच्चों की शैक्षिक हानि को कम करने और उन्हें पाठ्यक्रम में साथ लाने में उनकी सहायता के लिए व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाओं जैसी योजनाएं बनाई जाएं तथा जैसी उपचारात्मक कार्रवाई की जाए। छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार उकने शैक्षणिक अंतराल की भरपाई के लिए कार्यकलापों की योजना/बनायी जा सकती हैं।
- यह सलाह दी जाती है कि कक्षाओं के दुबारा शुरू होने के दो-तीन सप्ताह के दौरान, या तो ऑनलाइन पढ़ाए गए पाठों की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित करके या किसी अन्य गतिविधि से छात्रों को धीरे-धीरे फिर से स्कूली जीवन के लिए अभ्यस्त होने दिया जाये।
- "बैक टू स्कूल" अभियान की शुरुआत की जाए जिसमें विशेष रूप से बालिकाओं, दिव्यांग बच्चों, प्रवासी श्रमिकों के बच्चों और एससी / एसटी समुदायों के बच्चों, स्कूल से बाहर के बच्चों और अत्यधिक निर्धन बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
- कोविड-19 महामारी के कारण हुई आर्थिक क्षति को ध्यान में रखते हुए, स्कूल शिक्षा के पूरा होने पर स्कूलों को युवाओं को कार्य करने की सुविधा प्रदान करने में समर्थ बनाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रमों का विस्तार किया जा सकता है।
- स्कूल से बाहर के अधिक आयु के बच्चों के लिए मुक्त शिक्षण कार्यक्रमों को प्रदान की जा सकती है।

## VI. छात्रों और शिक्षकों के भावनात्मक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना

- किसी आपदा / महामारी के दौरान और उसके बाद तनाव, घबराहट, शोक और चिंता महसूस करना स्वाभाविक है, ऐसे समय में बच्चे सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं।
- इसलिए, स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे अपने छात्रों में तनाव के किसी भी लक्षण पर ध्यान दें और माता-पिता के साथ मिलकर उचित कार्रवाई करें।
- यह सलाह दी जाती है कि शिक्षक, स्कूल काउंसलर और स्कूल स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने छात्रों की भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें।
- इसके अलावा, इन कठिन परिस्थितियों से शिक्षकों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है जो स्कूलों के फिर से खुलने पर परिवर्तित माहौल में समायोजित होने के साथ-साथ छात्रों का नेतृत्व और प्रबंधन करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, यह सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य का भी समान रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। शिक्षकों का अपना मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए सक्रिय कदम उठाने हेतु मार्ग दर्शन किया जा सकता है।
- सामान्य शिक्षकों की परामर्श क्षमता पर विशेष जोर देने वाले ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए जा सकते हैं।

A-Tiwari
24\x\22

- इसी प्रकार, एक लंबे अंतराल के बाद स्कूल में वापस आने पर बच्चों में आत्मविश्वास बनए रखने और चिंता दूर करने और भावनात्मक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संक्षिप्त काउंसलिंग मॉड्यूल विकसित किया जा सकता है।
- **छात्रों और शिक्षकों के भावनात्मक स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए सुझाए गए दिशानिर्देश संलग्नक- क पर दिए गए हैं।**

**भारत सरकार द्वारा कोविड महामारी के दौरान और उसके बाद छात्रों, शिक्षकों और उनके परिवारों को मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए की जाने वाली व्यापक गतिविधियों से युक्त 'मनोदर्पण 'नामक एक कार्यक्रम की शुरूआत की है।**

**इसमें निम्नलिखित सेवाएं शामिल हैं :**

- **मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर एक वेब पेज बनाया गया है http://mhrd.gov.in/covid-19 जिसमें परामर्श और प्रेरणादायक पोस्टर प्रदर्शित किए गए और स्थिति से निपटने में मदद हेतु छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को टेली-काउंसलिंग प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर 8448440632 की व्यवस्था की गई है।**
- **छात्र छात्राओं, अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य संवर्द्धन हेतु एस0सी0आर0ई0टी0 उत्तराखण्ड की वेबसाईट scert.uk.gov.in के Prakash लिंक पर आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध है**

**VIII. सुरक्षित स्कूल परिवेश के लिए जांचसूची (चेकलिस्ट)**

**क)** <u>विभिन्न हितधारकों के लिए</u>

- कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए यूनिसेफ़ दिशानिर्देशों की तर्ज पर स्कूलों, अभिभावकों और छात्रों के लिए सांकेतिक 'सुरक्षित स्कूल परिवेश संबंधी जांच सूची' को **अनुबंध-ग** में दिया गया है। स्कूल अपनी जरूरतों / योजनाओं / प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें प्रासंगिक बना सकते हैं।
- एमआईएस प्रणालियों को कोविड- संबंधी जांचसूचियों के अनुसार अद्यतन करने की आवश्यकता है।

**ख)** <u>लचीलापन लाने के लिए</u>

- कोविड -19 के प्रकोप के बाद से, पारंपरिक स्कूलों के कार्यों और भूमिकाओं और शिक्षा में काफी बदलाव देखा गया है।

A. Diwaly 24/x/22

- स्कूल इस संकट को एक चुनौती के रूप में देख सकते हैं जो उन्हें एक लचीली और स्थायी शिक्षा प्रणाली स्थापित करने में सहायता कर सकती है जो भविष्य में किसी भी पैमाने के किसी भी बदलाव के लिए हमें तैयार कर सकता है।

ग) **<u>अकादमिक योजना बनाने और स्कूल प्रचालन के लिए</u>**

- सचेत शैक्षिक योजना बनाना और इसका कार्यान्वयन प्रभावी रूप से सीखने को जारी रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस संबंध में स्कूलों, शिक्षकों, डाइट आदि के लिए चेकलिस्ट तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- परिभाषित और स्थापित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, स्पष्ट दिशानिर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं; और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित योजनाओं के साथ, स्कूल फिर से खुलने के बाद सुरक्षित रूप से कार्य करने में सक्षम होंगे। इसके लिए जाँच सूची तैयार की जा सकती है।
- स्कूलों द्वारा किए गए उपाय व्यवधान को कम करने करने के साथ-साथ छात्रों और स्टाफ को भेदभाव से बचते हुए उन छात्रों और कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 के संभावित संक्रमण को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं, जो संभवतः इसके संपर्क में आए हों।

A-Diwakar
24/x/20

अनुबंध क

छात्रों और शिक्षकों के भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देना (प्रारम्भिक और उच्चतर स्तर के छात्रों के लिए दिशानिर्देश)

**क. छात्रों के लिए सुझाव**

**तनाव और चिंता से लड़ने के लिए गतिविधियाँ: माध्यमिक स्तर पर छात्रों के लिए कार्य नीतियाँ**

क. **भावनाओं को स्वीकार करें:** किसी की भावनाओं को पहचानना और यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि ऐसी भावनाओं का होना ठीक है।

ख. **आत्मविचार** : लॉकडाउन के समय के दौरान कौन अपने लिए और दूसरों के लिए क्या कर रहा है, यह आत्म विचार करने के लिए स्वयं को समय दें, कि आप कौन से पहलुओं को बदलना चाहते हैं, उस वांछित परिवर्तन को लाने के लिए किस तरह के प्रयास / सोच / कार्रवाई की आवश्यकता होगी। किसी की संवेदनाओं और भावों से अवगत होना, किसी की भावनाओं को समझने में मदद कर सकता है।

ग. **सकारात्मक सोच:** तनाव से बचने, उससे संभलने और कम करने की कुंजी सकारात्मक मानसिकता और सकारात्मक दृष्टिकोण है। कभी भी उम्मीद न खोएं, अपने आप से शुरुआत करें और इसे सभी के साथ साझा करें। सकारात्मक विचार निरंतर बनाए रखें।

घ. **अपनी दिनचर्या को निर्धारित करें और समय का प्रबंधन करें:** अपनी दिनचर्या निर्धारित करना अनुशासित बने रहने में मदद करता है और हमारे विचारों और भावनाओं पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। छात्र लॉकडाउन के दौरान दैनिक गतिविधियों पर खर्च किए गए समय को कम करके अपनी समय सारणी को संशोधित कर सकते हैं। यह स्थिति को सामान्य बनाने में मदद करेगा।

ङ. **अपने मस्तिष्क और शरीर का ध्यान रखें:** मन को शांत करने और बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के निर्माण के लिए स्वस्थ और संतुलित आहार का सेवन, स्कूल के घंटों के बाद ध्यान, योग, या साँस लेने के व्यायाम का अभ्यास करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा, हर रोज़ पर्याप्त नींद लें।

च. अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों से **अवगत रहें।**

A. Diwak
24/X/22

छ. **एक डायरी रखें।** उसमें रोज़ लिखें कि आप अपनी कार्ययोजना का पालन कैसे कर सकते हैं। हर दिन अपनी भावनाओं में हुए बदलाव को उसमें नोट करें और अपने परम मित्र के साथ उसे साझा करें।

**(ख) अपने छात्रों के भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए अध्यापकों हेतु दिशानिर्देश**

(क) **कक्षा-कक्ष में वार्तालाप संबंधी कार्यकलाप शुरू करना:** यह आवश्यक है कि कक्षा-कक्ष में पुनः सामान्य माहौल वापस लाने पर ध्यान दिया जाए। अध्यापक छात्रों से इस बात को लेकर चर्चा शुरू कर सकते हैं कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान स्वयं को वार्तालाप सत्र के दौरान व्यस्त रखने के लिए क्या-क्या किया।

(ख) **अलग-अलग इन्डोर खेल:** कक्षा-कक्ष में एक समुचित मार्गदर्शन के तहत दिमागी गणित खेल, आदि और संगीत एवं नृत्य कार्यकलाप विषय क्षेत्रों के साथ लिंक करके आयोजित किए जा सकते हैं। ये छात्रों को स्वस्थ रखने के साथ-साथ उन्हें खुश और तनाव मुक्त रखेंगे।

(ग) **छात्रों को सुरक्षित महसूस कराना:** अध्यापकों के लिए जरूरी है कि वे अपने छात्रों को सुरक्षित महसूस करवाएं और उनके साथ हर बात साझा करें। वे इस बात पर बल देकर समझाएं कि कोविड-19 से बच्चों की मृत्यु ना के बराबर हुई है परन्तु उन्हें यह बिमारी हो सकती है और अगर वे असुरक्षित बर्ताव करते हैं तो इसे फैला सकते हैं।

2. **छात्रों को कक्षा-कक्ष में सहयोगात्मक कार्यों में व्यस्त रखने में उनकी सहायता करें:** छात्रों को विभिन्न गहरी सांस लेने वाले अभ्यासों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें और इस अभ्यास को करवाएं। यह उन्हें सचेत रहने में सहायता करेगा। अध्यापकों को निम्नलिखित कार्यकलापों के माध्यम से छात्रों के बीच भावनात्मक एकता का माहौल बनाना होगा:

(i) कोविड-19 से ठीक हुए किसी भी बच्चे के सामाजिक बहिष्कार को रोकना।

(ii) बच्चों को अपने साथियों के लिए प्रेम स्वरूप भेंट एवं प्रशंसा हेतु छोटी-छोटी गिफ्ट तैयार करने के प्रति प्रोत्साहित करना।

A. Diwan
24/X/20

(iii) छात्रों को देख-भाल कार्यों जैसे पक्षियों के लिए पानी रखना, परिवेश को साफ रखने में सहायता करना आदि कार्यों में लगाएं ताकि उनमें साझा करने और जिम्मेदार होने की सकारात्मक भावनाएं पैदा हों।

3. **परिवर्तन को स्वीकार करें और सहायता करें**: परिवर्तन को स्वीकार करें और बच्चों को यह मानने में उनकी सहायता करें कि वर्तमान समय कठिन है। छात्रों को यह भरोसा दिलवाएं कि अगर उन्हें किसी सहायता की जरूरत है या किसी बात को साझा करना है तो उसके लिए आप यहां हैं।

4. **कक्षा-कक्ष में मननशील (बोधक) गतिविधियां करवाएं**: बोधक गतिविधियां का किसी छात्र में आत्म-चिंतन को बढ़ाने और साथ ही अपने साथियों को अच्छी तरह से समझने में काफी महत्व है। बोधक कार्यों से सृजनात्मक विचार कौशल विकसित होते हैं और इनसे कक्षा-कक्ष में उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ती है।

5. **ज़ीवन की कहानियाँ बताएं**: यह कार्यकलाप छात्रों को कम समय में एक-दूसरे के बारे में महत्वपूर्ण बातें जानने में सहायक होगा। छात्रों को शायद ही कभी बिना किसी बाधा के (और सलाह या निर्णय के बिना) अपने बारे में बात करने का मौका मिलता है। प्रत्येक छात्र को लॉकडाउन के दौरान के अपने उन अनुभवों को बिना किसी बाधा के साझा करने के लिए 05 मिनट का समय दिया जाए, जिन्होंने उन्हें महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया है।

6. **तीन मिनट का मौन**: स्कूल समय के पश्चात् कक्षा-कक्ष में 03 मिनट का मौन रखा जा सकता है। यह छात्रों को शांत-चित होने, उन्होंने जो सिद्धांत और विचार सीखे हैं उन पर मनन करने, उनके साथ अपने पूर्व ज्ञान या अनुभवों के साथ संबंध जोड़ने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। छात्रों को स्वयं से पूछना होगा.. 'मैं................. से प्रभावित हुआ', 'मैंने..............के प्रति अपने विचारों को बदला', 'मुझे...........ने अधिक जागरूक किया', 'मैं..........से आश्चर्यचकित हुआ', 'मैंने............. महसूस किया आदि'।

**(ग) अपने बच्चों के भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने के लिए अभिभावकों हेतु दिशानिर्देश**

A. Diwah
24/X/22

1. **बच्चे को नई दिनचर्या के लिए मानसिक रूप से तैयार करें:** स्कूल खुलने के सकारात्मक पहलुओं के बारे में बताएं। बच्चों को आश्वासन दें कि यदि स्कूल में कोई परेशानी आती है तो वे उसे सुलझाने के लिए स्कूल में आ जाएंगे।
2. **धैर्य रखें:** धैर्य रखें और बच्चों से सख्ती ना बरतें क्योंकि लम्बे समय के बाद पुनः घर से स्कूल आना-जाना छात्रों के लिए चुनौतिपूर्ण हो सकता है।
3. **बच्चों को सकारात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करें:** स्कूल के पुनः खुलने की तैयारी के रूप में बच्चों को अपने दोस्तों, शिक्षकों, और परिवार के सदस्यों के लिए कार्ड बनाने और रंग भरने के लिए कहा जा सकता है, इस प्रकार एक सकारात्मक स्वर और आशा स्थापित करना।
4. **प्रेरक संसाधन एकत्र करें:** छात्रों को कोविड -19 के दौरान विकसित किए गए अच्छे ऑडियो (पॉडकास्ट) गानों को एकत्रित करने के लिए कहा जा सकता है जो उन्हें स्कूल के साथियों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित करते हैं।
5. **उनकी भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करें:** माता-पिता को बच्चों को यह एहसास दिलवाने की आवश्यकता है कि वे उनके साथ कुछ भी और सब कुछ साझा कर सकते हैं और क्योंकि वे स्कूल जाने के लिए तैयार हैं इसलिए उनकी स्कूल संबंधी अपनी चिंताओं को भी साझा कर सकते हैं, ताकि वे महसूस करें कि हम सुरक्षित हैं और सभी हमें चाहते हैं।
6. **उनकी भावनाओं को समझें:** शांत रहें विशेषकर जब बच्चे आतुर हों। उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें अपना भय, यदि उनके मन में है, को बताने का अवसर दें। सुनिश्चित करें कि बच्चों के साथ इकट्ठा बैठने और समय-समय पर निःसंकोच उनसे खुल कर बातें करने के लिए पर्याप्त समय दें।
7. **उत्साहवर्धन:** माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों को स्कूल की दिनचर्या बनाने, घर पर पढ़ने, खेलने, सोने, अच्छा स्वास्थ्य और सफाई आदि संबंधी कार्य करने के लिए योजना बनाने के लिए प्रोत्साहन दें और उनका मार्गदर्शन करें।
8. **बच्चे की प्रशंसा करें:** बच्चों द्वारा की गई छोटी--छोटी उपलब्धियों और प्रयासों को भी पहचानें और उनकी प्रशंसा करें। इससे बच्चों में न केवल विश्वास और आत्म सम्मान पैदा होता है अपितु उनमें अच्छी आदतें आएंगी और वे विभिन्न कार्यों में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे।
9. **अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें:** बच्चों से अनुशासन में रहने, सहानुभूति दिखाने और स्वस्थ एवं साफ-सुथरे रहने की अपेक्षा रखने से पहले माता-पिता को ये

A-Diwakr
24/x/20

सब करने की जरूरत है। अभिभावकों को अच्छी नींद, व्यायाम, संतुलित भोजन, अपने मित्रों एवं परिवार के साथ मेल-जोल, अपने तनाव पर काबू पाने की जरूरत है।

10. **अपने विचारों को समझें:** अपनी भावनाओं को समझना और पहचानना किसी व्यक्ति के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। एक अभिभावक के रूप में एक व्यक्ति अपने प्रत्येक विचार और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को सही दिशा देकर अपनी और बच्चों की सहायता कर सकता है।
11. **उन चीज़ों पर ध्यान कन्द्रित करें जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता है:** जो चीजें किसी व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हों उन पर ध्यान केन्द्रित करना व्यक्ति को पुरी तरह पस्त, उदास और आतुर बना देता है अतः उन पर ध्यान दें जिन्हें नियंत्रित किया जा सके।
12. **स्वयं की देखभाल करना:** सुनिश्चित करें कि आप योग जैसे शारीरिक व्यायाम करते हैं। अच्छा स्वास्थ्यवर्धक भोजन करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें।

**(घ) अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सुझाई गई गतिविधियां:**

1. विचारशील डायरी लेखनः सोने से पहले प्रत्येक दिन के अनुभवों को लिखने की आदत बनाएं।
2. अपने चारों ओर की गंध, आकृति और दृश्य के माध्यम से अपने परिवेश को पहचानने के लिए समय दें।
3. उस कार्य को करें जो आपको ध्यान, योग, भ्रमण और पठन आदि से जोड़ने में सहायता करे।
4. उन छोटे-छोटे बदलाव के बारे में विचार करें जिन्हें आप अपने जीवन में ला सकते हैं।
5. शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ सही पौष्टिकता वाला नियमित भोजन करते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छी नींद की आदत बनाए रखें और आनन्ददायक एवं आरामदायक कार्यकलापों में व्यस्त रहें।
6. ऐसे कार्यों को करें जो आपकी सृजनात्मकता को चुनौती देते हों और लेखन, चित्रण और अन्य आपकी रुचि कार्यों द्वारा स्वयं को सृजनशील बनाएं।
7. उन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में भाग लें जो आपके कार्य क्षमता को बढ़ाते हों।

A. Diwan
24/X/20

8. जब भी जरूरत हो, अपने सहयोगी या विशेषज्ञ से सहायता लें।

**छात्रों और अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ्यवर्धन की दृष्टि से स्कूल उनके बीच एक लचीलेपन को बढ़ावा दिए जाने पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य नीति या योजना बना सकते हैं। छात्र, अध्यापकों और स्कूल को एमएचआरडी की वेबसाइट https://mhrd.gov.in/covid-19 पर जाने और एमएचआरडी द्वारा कोविड-19 के फैलने के दौरान और उसके बाद छात्रों, अध्यापकों और परिवारों के भावनात्मक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनौवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने हेतु मनोदर्पण पहल के तहत राष्ट्रीय टोल-फ्री नं. 8448440632 पर उपलब्ध टेली-काउंसलिंग सेवाओं को लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।**

A Dixah
24/x/22

अनुबंध-ख

## विभिन्न हितधारकों की भूमिका और उत्तरदायित्व

I. शिक्षा निदेशालय

II. स्कूल के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रबंधक

1. स्कूल के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रबंधक को भारत सरकार और राज्य स्तर पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर शारीरिक/सामाजिक दूरी, स्वास्थ्य और स्वच्छता एवं शिक्षण-अधिगम सहित स्कूल खोलने के लिए मुस्तैद योजना बनाने की जरूरत है। विस्तृत योजना को एमएमसी सदस्यों, स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों और समुदाय नेताओं के साथ बातचीत करके तथा स्थान, मौसम और अध्यापक-छात्र अनुपात की उपलब्धता के आधार पर तैयार किया जाए। योजना में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है:-

क. स्कूलों और साथ ही घरों से कक्षा में ऑनलाइन अध्ययन से जुड़ने हेतु कार्य योजना ।

ख. सभी कक्षाओं और विषय क्षेत्रों के लिए मूल्यांकन और परीक्षा योजना।

ग. स्कूल में छात्रों और अध्यापकों के सुरक्षित कार्य करने हेतु कार्य योजना।

घ. इस योजना को स्कूल खुलने से पहले व्हाट्सअप या ई-मेल के माध्यम से या सेनेटाइज की गई छायाप्रति अध्यापकों को देकर साझा करना। उनसे फीडबैक भी मांगी जाए।

ङ. अध्यापकों के रोजमर्रा की शिक्षण-अधिगम गतिविधियों के अलावा प्रत्येक अध्यापक का निम्नानुसार ड्यूटी चार्ट तैयार किया जाना :

- एक अध्यापक की सुबह के समय स्कूल प्रवेश द्वार पर ड्यूटी लगाई जा सकती है।
- स्कूल की छुट्टी के दौरान एक अध्यापक बाहर जाने के द्वार पर रह सकता है।
- एक अध्यापक कुछ चुने हुए वरिष्ठ छात्रों के साथ यह देखने के लिए लगातार स्कूल का दौरा कर सकता है कि बच्चे शारीरिक दूरी बनाए हुए हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है और सेनेटाइजेशन आदि कर रहे हैं या नहीं।

A. Diwakar
24/X/22

- एक अध्यापक कोरोना संबंधी छात्रों के प्रश्नों पर उनसे बात कर सकता है और उनके स्वास्थ्य पर नजर रख सकता है इसी प्रकार अन्य अध्यापकों को भी स्कूल जरूरतों के अनुसार अन्य ड्यूटी दी जा सकती है।

2. प्रत्येक अध्यापक को फोन करके दिशानिर्देशों के आधार पर नया टाइम टेबल बनाने के लिए कहना ताकि पहले भाग में उल्लिखित वैकल्पिक समग्र कैलेण्डर को लागू किया जा सके।

3. सभी एमरजेंसी कांटेक्ट्स को इकट्ठा करना।

4. बहुत ही गरीब बच्चे, जिनके पास स्कूल से जुड़ने के लिए घर पर तकनीकी साधन नहीं है उनके लिए स्कूल प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं प्रबन्धक उन तक पहुंचने के लिए कुछ नवाचारी योजना बना सकते हैं ताकि इन बच्चों और जो बच्चे तकनीकी साधनों का प्रयोग कर रहे हैं और स्कूल आ सकते हैं, के बीच शिक्षा अंतराल को कम किया जा सके।

5. स्कूल एक समर्पित कार्य दल बना सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि स्कूल को फिर से खोलने के लिए एक व्यापक योजना के कार्यान्वयन के लिए शिक्षकों, एसएमसी के सदस्यों, समुदाय के स्वयंसेवकों के साथ कोविड संबंधी मुद्दों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त जनशक्ति तैनात की जाए।

6. स्कूल को पुनः खोलने से पहले स्कूल प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं प्रबन्धक को कोविड-19 के बचाव और नियंत्रण के लिए किए जाने वाले कार्य सहित योजना कार्यान्वयन हेतु स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बातचीत एवं अन्य कार्य करने की जरूरत है।

7. सभी अध्यापक और स्कूल के प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों एवं प्रबन्धकों को ब्रीफिंग, विजुअल्स और आईसीटी संसाधनों के माध्यम से उपर्युक्त सभी पहलुओं के बारे में जागरूक और संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

8. स्कूल परिसर और स्कूल ट्रांसपोर्ट सुविधा की स्वच्छता और सफाई बनाए रखना। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान और एनजीओ या शहरी क्षेत्रों में किसी कोरपोरेट हाउस को इस कार्य में शामिल किया जा सकता है।

9. यह परामर्श दिया जाता है कि स्कूल अभिभावकों के साथ और अधिक सहयोग बढ़ाएंगे तथा उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए उनसे और अधिक संपर्क बनाएंगे।

**I. अध्यापक**

**अध्यापक निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:-**

(i) <u>स्कूलों के पुनः खुलने से पहले</u>

क. जिस कक्षा और विषय को वह पढ़ाता है उसकी समग्र योजना बनाए, उसका टाइम टेबल बनाने के साथ-साथ योजना कार्यान्वयन के लिए रोचक कार्यकलापों को तैयार करे। इस कार्य योजना को बनाते समय अध्यापक यह ध्यान में रखे कि स्कूलों द्वारा शारीरिक/सामाजिक दूरी और स्वास्थ्य और स्वच्छता रखने के लिए क्या-क्या व्यवस्था की जा रही है क्योंकि इन्हें पाठ्यवस्तु और शिक्षण परिणामों के साथ जोड़ें जाने की जरूरत है।

ख. कोविड-19 से संबंधित सावधानियां, शारीरिक/सामाजिक दूरी, कोविड-19 पर पोस्टर तैयार करना।

ग. छात्रों के घर तकनीकी साधनों (स्मार्ट फोन-इंटरनेट के साथ, टेलीविजन, रेडियो, लैपटॉप, टेबलेट्स आदि) की उपलब्धता और छात्रों की पहुंच; माता-पित/अभिभावक या भाई-बहन की शैक्षणिक योग्यता का सर्वेक्षण करना और प्रत्येक कक्षा के छात्र का डाटा-बेस तैयार करना। (यह छात्रों के स्कूल और घर पर अध्ययन की योजना बनाने में सहायक होगा)

घ. उपस्थिति और बीमार होने के कारण छुट्टी आदि में लचीलापन बरतना; पूर्ण उपस्थिति के लिए अवार्ड आदि ना रखे जाएं।

2. <u>स्कूलों के पुनः खुलने पर:</u>

बच्चों को अपने माता-पिता की लिखित सहमति के साथ स्कूल जाने की अनुमति देना।

क. छात्रों को शामिल करते हुए बार-बार मजेदार गतिविधियां आयोजित करके और अधिगम परिणामों, भले ही वे जागरूकता गतिविधियां रही हों, पर

A. Diwan
24/X/22

फोकस करके बरती जानी वाली सावधानियां, सेफ स्टे-एट-होम, कम्यूटिंग आदि के संबंध में कोविड-19 के बारे में सलाह, निर्देश, सुझाव देना।

ख. शिक्षण-कक्ष की योजनाएं बनाने और गृह-कार्यों को देने में भी एनसीईआरटी/ एससीईआरटी द्वारा वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर का अध्ययन करना।

ग. स्कूल में तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता के मामले में, निम्नलिखित संसाधनों का उपयोग करना

- छात्रों के अधिगम के लिए ई-सामग्री और ई-पाठ्यपुस्तक और शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए लिंक: https://ciet.nic.in/ict-initiatives.php?&ln=en
- दीक्षा ऐप और पोर्टल के माध्यम से प्रेरक पाठ्यपुस्तकें और ई-कंटेंट
- डीटीएच - एनसीईआरटी के टीवी चैनल # 31 किशोर मंच द्वारा स्वयम् प्रभा नेटवर्क के तहत वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर (एएसी) के आधार पर वीडियो कार्यक्रमों का प्रसारण।
- कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में ई-सामग्री के विकास और वितरण के लिए स्थानीय रेडियो और टीवी स्टेशन और हितधारकों को संवेदनशील बनाना।
- PM e-vidya चैनल के माध्यम से कक्षा 1 से 12 के विष्यगत व्याख्यानों का प्रसारण
- दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्र देहरादून से ज्ञानदीप चैनल के माध्यम से कक्षा'6 से 12 तक के विष्यगत व्याख्यानों का प्रसारण
- ज्ञानदीप डी0डी0 उत्तराखण्ड के youtube चैनल पर भी कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विषयगत व्याख्यान उपलब्ध है

इन संसाधनों के उपयोग पर शिक्षकों का क्षमता निर्माण एमओओसी, टीवी चैनल, वेब पोर्टल और ऐप जैसे ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाना चाहिए।

ड. जहां छात्रों की घर पर टीवी तक पहुंच है वहां फ़्लिप्ड शिक्षण शिक्षाशास्त्र का उपयोग करना। उसके लिए आगामी समर्पित कक्षा-वार टीवी चैनलों का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें छात्र घर पर टीवी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और केवल चर्चा और औपचारिक मूल्यांकन कक्षा में होता है।

A. Diwan
24/X/2020

च. शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के लिए कक्षा के प्रत्येक बच्चे की लगातार निगरानी करना। इस तरह के किसी भी लक्षण के मामले में, माता-पिता को सूचित किया जा सकता है और बच्चे के लिए चिकित्सीय सहायता ली जा सकती है।

छ. साइबर स्पेस में छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए साइबर बचाव और सुरक्षा पर पोस्टर, बैनर, ब्रोशर, इन्फोग्राफिक्स इत्यादि तैयार करना और प्रसारित करना। साइबर सुरक्षा एक अंतरराष्ट्रीय मामला है।

ज. परिवार/समुदाय में बीमारी के संक्रमण के इतिहास सहित छात्रों के मेडिकल रिकॉर्ड को बनाए रखें।

**IV. माता-पिता/अभिभावक**

**माता-पिता/अभिभावक निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:**

1. यदि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं तो अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए लिखित सहमति प्रदान करें।
2. सुनिश्चित करें कि उनका बच्चा मास्क पहनकर स्कूल जाए और उन्हें दूसरों के साथ मास्क का आदान-प्रदान न करने के लिए जागरूक करें। मास्क घर पर भी बनाया जा सकता है। साबुन से पूरी तरह से धोने के बाद कपड़े से बने फेस मास्क का पुन: उपयोग किया जा सकता है। डिस्पोजल फेस मास्क का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाए।
3. किसी भी सार्वजनिक स्थान पर संपर्क जोखिम को कम करने के लिए अपने बच्चे को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहित करें।
4. यदि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो माता-पिता अपने बच्चे को स्कूल न भेजने का ध्यान रख सकते हैं।
5. जहां तक संभव हो बच्चों को स्वयं स्कूल छोड़ें और लेकर आएं। यदि स्कूल बस से भेजा जाता है तो शारीरिक/सामाजिक दूरी बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि सभी ने मास्क पहना हो।
6. अभिभावकों को यह निर्देश दे कि वह बच्चे से कहें कि वह हर बार घर से बाहर जाने पर शारीरिक / सामाजिक दूरी का ध्यान रखे।

A. Diwan
24/X/20

7. अपने बच्चे की वर्दी और अन्य सामान को प्रतिदिन साफ और सेनिटाइज़ करें।
8. सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखता है जैसे स्नान, दांतों को दिन में दो बार (सुबह और सोने से पहले) अच्छे से ब्रश करता है और नाखूनों को ट्रिम करता है।
9. हाथों को पोंछने के लिए अपने बच्चे को प्रतिदिन दो स्वच्छ छोटे नैपकिन/साफ कपड़े दें।
10. उनके लंच बॉक्स में स्वस्थ भोजन, ताजे फल और साफ पानी दें और अपने बच्चे को दूसरों के साथ अपने टिफिन और पानी की बोतल साझा न करने की सलाह दें।
11. यह सलाह दी जाती है कि माता-पिता/अभिभावक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और अपने बच्चे को तभी जाने दें जब ऐप सुरक्षित और कम जोखिम वाली स्थिति दिखाता है।

A. Tiwari
24/X/20

**अनुबंध- ग**

## सुरक्षित स्कूल पर्यावरण के लिए चेकलिस्ट

1. **स्कूल प्रशासकों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए चेकलिस्ट**

| क्रम सं. | कार्य | हाँ/ नही |
|---|---|---|
| क | **स्वास्थ्य स्वच्छता कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है और उन्हें सुनिश्चित किया जाता है** | |
| 1 | छात्रों और कर्मचारियों को अच्छे व्यक्तिगत स्वच्छता कार्यों और उचित हाथ धोने की तकनीक के संबंध में संवेदनशील बनाया गया है | |
| 2 | स्कूल में कक्षाओं, गलियारों, वॉशरूम, रिसेप्शन क्षेत्र आदि जैसे प्रमुख स्थानों पर स्वास्थ्य स्वच्छता कार्यों पर साइनेज प्रदर्शित किए गए हैं।<br>• हैंडशेक करना बंद करें - ग्रीटिंग के अन्य नॉनकॉन्टैक्ट तरीकों का उपयोग करें<br>• नियमित अंतराल पर हाथ धोएं (कम से कम 20 सेकंड के लिए धोएं)<br>• फेस कवर छूने, खांसी और छींक से बचें | |
| 3 | लड़कियों और लड़कों के लिए पर्याप्त, स्वच्छ और अलग शौचालय | |
| 4 | साबुन और सुरक्षित पानी एवं हाथ धोने के स्टेशनों पर उपलब्ध हैं | |
| 5 | स्कूल में थर्मामीटर, कीटाणुनाशक, साबुन, हैंड सैनिटाइज़र, मास्क इत्यादि जैसी प्रमुख आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। | |
| 6 | स्वास्थ्य और स्वच्छता पाठ प्रत्येक दिन शिक्षण में एकीकृत होते हैं | |
| 7 | स्कूल भवन, कक्षाओं, रसोई, पानी और स्वच्छता सुविधाओं, स्कूल परिवहन सुविधाओं, सतहों, जो कई लोगों (डेस्क, रेलिंग, दरवाज़े के हैंडल, स्विच, लंच टेबल, खेल उपकरण, खिड़की के हैंडल, खिलौने, शिक्षण अधिगम सामग्री आदि) द्वारा छुआ जाता है, को दिन में कम से कम एक बार साफ और कीटाणुरहित होते हैं | |

A. Diwak
24/x/2r

| | | |
|---|---|---|
| 8 | स्कूल में पर्याप्त सफाई कर्मचारी उपलब्ध हैं | |
| 9 | स्कूल परिसर में पर्याप्त वायु प्रवाह और वेंटिलेशन है | |
| 10 | स्कूल में सभी कर्मचारियों और छात्रों की नियमित स्वास्थ्य जांच | |
| 11 | कूड़े को दैनिक रूप से हटा दिया जाता है और सुरक्षित रूप से निपटाया जाता है | |
| 12 | स्कूल में पूर्णकालिक नर्स या डॉक्टर और काउंसलर उपलब्ध है। | |
| 13 | स्कूल ने आपात स्थिति से निपटने के लिए नजदीकी अस्पताल के साथ गठजोड़ किया है। | |
| **ख** | **शारीरिक/सामाजिक दूरी बनाने के उपाय लागू किए गए हैं** | |
| 1 | भीड़-भाड़ की स्थिति से बचने के लिए स्कूल की व्यवस्था को समायोजित किया गया है। | |
| 2 | छात्रों के डेस्क के बीच पर्याप्त जगह बनाई गई है। | |

**2. <u>माता-पिता के लिए चेकलिस्ट</u>**

| क्रम सं. | कार्य | हाँ /नही |
|---|---|---|
| 1 | बच्चे के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी। | |
| 2 | यदि बच्चा बीमार है या उसकी कोई विशिष्ट चिकित्सा स्थिति है, जो उन्हें जोखिम में डाल सकती है तो उसे घर पर रखना। | |
| 3 | घर पर मॉडल अच्छे स्वच्छता अभ्यास सिखाएं।<br>• अपने हाथों को साबुन और पानी से बार-बार धोएं या कम से कम 70% शराब के साथ अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करें<br>• सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करें<br>• घर पर स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय सुनिश्चित करें<br>• कचरे का सुरक्षित संग्रह, भंडारण और निपटान सुनिश्चित करें<br>• अपनी कोहनी के टिश्यू में खांसें और छींकें और अपने चेहरे, आंखों, | |

A. Diwan
24/X/20

| | | |
|---|---|---|
| | मुंह, नाक को छूने से बचें | |
| 4 | विभिन्न माध्यमों से अपने बच्चे की भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करें। | |
| 5 | तथ्यों का उपयोग करके स्टिग्मा को रोकें और अपने बच्चों को एक दूसरे के बारे में विचार करना सिखाएं। | |
| 6 | जानकारी प्राप्त करने के लिए स्कूल के साथ समन्वय करें। | |
| 7 | स्कूल सुरक्षा प्रयासों को मजबूत करने के लिए स्कूल को सहायता प्रदान करें। | |

3. <u>छात्रों के लिए चेकलिस्ट</u>

| क्रम सं. | कार्य | हाँ /नही |
|---|---|---|
| 1 | आप दूसरों के साथ बात करने और साझा करने की तनावपूर्ण स्थिति से बचें और अपने और अपने स्कूल को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में मदद करें। | |
| 2 | आप निम्नलिखित के जरिए अपनी और दूसरों की रक्षा करें:<br>• हमेशा साबुन और सुरक्षित पानी से कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को बार-बार धोना,<br>• चेहरा न छूना<br>• कप, खाने के बर्तन, खाना या पेय दूसरों के साथ साझा नहीं करना | |
| 3 | आप स्वयं को, अपने स्कूल, परिवार और समुदाय को स्वस्थ रखने में एक नेता के रूप में कार्य करते हैं:<br>• अपने परिवार और दोस्तों के साथ, खासकर छोटे बच्चों के साथ बीमारी को रोकने के बारे में आपने जो सीखा है, उसे साझा करना<br>• विशेष रूप से परिवार के सबसे छोटे सदस्यों के लिए मॉडल अच्छे कार्य जैसे कि छींकने या खाँसी करने के लिए अपनी कोहनी का इस्तेमाल करना और अपने हाथों को धोना । | |
| 4 | आप अपने साथियों की निंदा नहीं करते और न ही किसी के बीमार होने पर उन्हें चिढ़ाते हैं। | |
| 5 | यदि आप बीमार महसूस करते हैं तो आप अपने माता-पिता, परिवार के किसी अन्य सदस्य या देखभाल करने वाले को बताएं और घर पर रहने के लिए कहें। | |

A. Diwan
24/X/20

*******

## COVID-19: Guidelines on disinfection of common public places including offices

**Scope:** This document aims to provide interim guidance about the environmental cleaning /decontamination of common public places including offices in areas reporting COVID-19.

Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) is an acute respiratory disease caused by a novel Coronavirus (SARS-CoV-2), transmitted in most instances through respiratory droplets, direct contact with cases and also through contaminated surfaces/objects. Though the virus survives on environmental surfaces for varied period of time, it gets easily inactivated by chemical disinfectants.

In view of the above, the following guidelines are to be followed, especially in areas reporting COVID-19. For ease of implementation the guideline divided these areas into (i) indoor areas, (ii) outdoor areas and (iii) public toilets.

### 1. Indoor areas including office spaces

Office spaces, including conference rooms should be cleaned every evening after office hours or early in the morning before the rooms are occupied. If contact surface is visibly dirty, it should be cleaned with soap and water prior to disinfection. Prior to cleaning, the worker should wear disposable rubber boots, gloves (heavy duty), and a triple layer mask.

- Start cleaning from cleaner areas and proceed towards dirtier areas.
- All indoor areas such as entrance lobbies, corridors and staircases, escalators, elevators, security guard booths, office rooms, meeting rooms, cafeteria should be mopped with a disinfectant with 1% sodium hypochlorite or phenolic disinfectants. The guidelines for preparing fresh 1% sodium hypochlorite solution is at **Annexure I**
- High contact surfaces such elevator buttons, handrails / handles and call buttons, escalator handrails, public counters, intercom systems, equipment like telephone, printers/scanners, and other office machines should be cleaned twice daily by mopping with a linen/absorbable cloth soaked in 1% sodium hypochlorite.Frequently touched areas like table tops, chair handles, pens, diary files, keyboards, mouse, mouse pad, tea/coffee dispensing machines etc. should specially be cleaned.
- For metallic surfaces like door handles, security locks, keys etc. 70% alcohol can be used to wipe down surfaces where the use of bleach is not suitable.
- Hand sanitizing stations should be installed in office premises (especially at the entry) and near high contact surfaces.
- In a meeting/conference/office room, if someone is coughing, without following respiratory etiquettes or mask, the areas around his/her seat should be vacated and cleaned with 1% sodium hypochlorite.
- Carefully clean the equipment used in cleaning at the end of the cleaning process.
- Remove PPE, discard in a disposable PPE in yellow disposable bag and wash hands with soap and water.

In addition, all employees should consider cleaning the work area in front of them with a disinfecting wipe prior to use and sit one seat further away from others, if possible

A. Diwakar
24/X/2020

## 2. Outdoor areas

Outdoor areas have less risk then indoor areas due to air currents and exposure to sunlight. These include bus stops, railway platforms, parks, roads, etc. Cleaning and disinfection efforts should be targeted to frequently touched/contaminated surfaces as already detailed above.

## 3. Public toilets

Sanitary workers must use separate set of cleaning equipment for toilets (mops, nylon scrubber) and separate set for sink and commode). They should always wear disposable protective gloves while cleaning a toilet.

| Item | Agents / Toilet cleaner | Procedure |
|---|---|---|
| Toilet pot/ commode | Sodium hypochlorite 1%/ detergent<br>Soap powder / long handle angular brush | • Inside of toilet pot/commode:<br>• Scrub with the recommended agents and the long handle angular brush.<br>• Outside: clean with recommended agents; use a scrubber. |
| Lid/ commode | Nylon scrubber and soap powder/detergent<br><br>1% Sodium Hypochlorite | • Wet and scrub with soap powder and the nylon scrubber inside and outside.<br>• Wipe with 1% Sodium Hypochlorite |
| Toilet floor | Soap powder /detergent and scrubbing brush/ nylon broom<br>1% Sodium Hypochlorite | • Scrub floor with soap powder and the scrubbing brush<br>• Wash with water<br>• Use sodium hypochlorite1% dilution |
| Sink | Soap powder / detergent and nylon scrubber<br>1% Sodium Hypochlorite | • Scrub with the nylon scrubber.<br>• Wipe with 1% sodium hypochlorite |
| Showers area / Taps and fittings | Warm water Detergent powder Nylon Scrubber 1% Sodium Hypochlorite/ 70% alcohol | • Thoroughly scrub the floors/tiles with warm water and detergent<br>• Wipe over taps and fittings with a damp cloth and detergent.<br>• Care should be taken to clean the underside of taps and fittings.<br>• Wipe with 1% sodium hypochlorite/ 70% alcohol |
| Soap dispensers | Detergent and water | • Should be cleaned daily with detergent and water and dried. |

- 70% Alcohol can be used to wipe down surfaces where the use of bleach is not suitable, e.g. metal. (Chloroxylenol (4.5-5.5%)/ Benzalkonium Chloride or any other disinfectants found to be effective against coronavirus may be used as per manufacturer's instructions)
- Always use freshly prepared 1% sodium hypochlorite.

A. Diwan
24/X/20

- Do not use disinfectants spray on potentially highly contaminated areas (such as toilet bowl or surrounding surfaces) as it may create splashes which can further spread the virus.
- To prevent cross contamination, discard cleaning material made of cloth (mop and wiping cloth) in appropriate bags after cleaning and disinfecting. Wear new pair of gloves and fasten the bag.
- Disinfect all cleaning equipment after use and before using in other area
- Disinfect buckets by soaking in bleach solution or rinse in hot water

4. **Personal Protective Equipment (PPE)**: Wear appropriate PPE which would include the following while carrying out cleaning and disinfection work.

- Wear disposable rubber boots, gloves (heavy duty), and a triple layer mask
- Gloves should be removed and discarded damaged, and a new pair worn.
- All disposable PPE should be removed and discarded after cleaning activities are completed.
- Hands should be washed with soap and water immediately after each piece of PPE is removed, following completion of cleaning. (Refer to **Annexure II**: Steps of Hand Hygiene)

Masks are effective if worn according to instructions and properly fitted. Masks should be discarded and changed if they become physically damaged or soaked. (**Annexure-III**: Guidelines for use of mask)

A. Diwan
24/X/21

**Annexure-I**

Guidelines for Preparation of 1% sodium hypochlorite solution

| Product | Available chlorine | 1percent |
|---|---|---|
| Sodium hypochlorite – liquid bleach | 3.5% | 1 part bleach to 2.5 parts water |
| Sodium hypochlorite – liquid | 5% | 1 part bleach to 4 parts water |
| NaDCC (sodium dichloro-isocyanurate) powder | 60% | 17 grams to 1 litre water |
| NaDCC (1.5 g/ tablet) – tablets | 60% | 11 tablets to 1 litre water |
| Chloramine – powder | 25% | 80 g to 1 litre water |
| Bleaching powder | 70% | 7g g to 1 litre water |
| Any other | As per manufacturer's Instructions | |

A. Diwan
24/X/22

Steps of Hand Hygiene

# Hand-washing technique with soap and water



1 Wet hands with water



2 Apply enough soap to cover all hand surfaces



3 Rub hands palm to palm



4 Rub back of each hand with palm of other hand with fingers interlaced



5 Rub palm to palm with fingers interlaced



6 Rub with back of fingers to opposing palms with fingers interlocked



7 Rub each thumb clasped in opposite hand using a rotational movement



8 Rub tips of fingers in opposite palm in a circular motion



9 Rub each wrist with opposite hand



10 Rinse hands with water



11 Use elbow to turn off tap

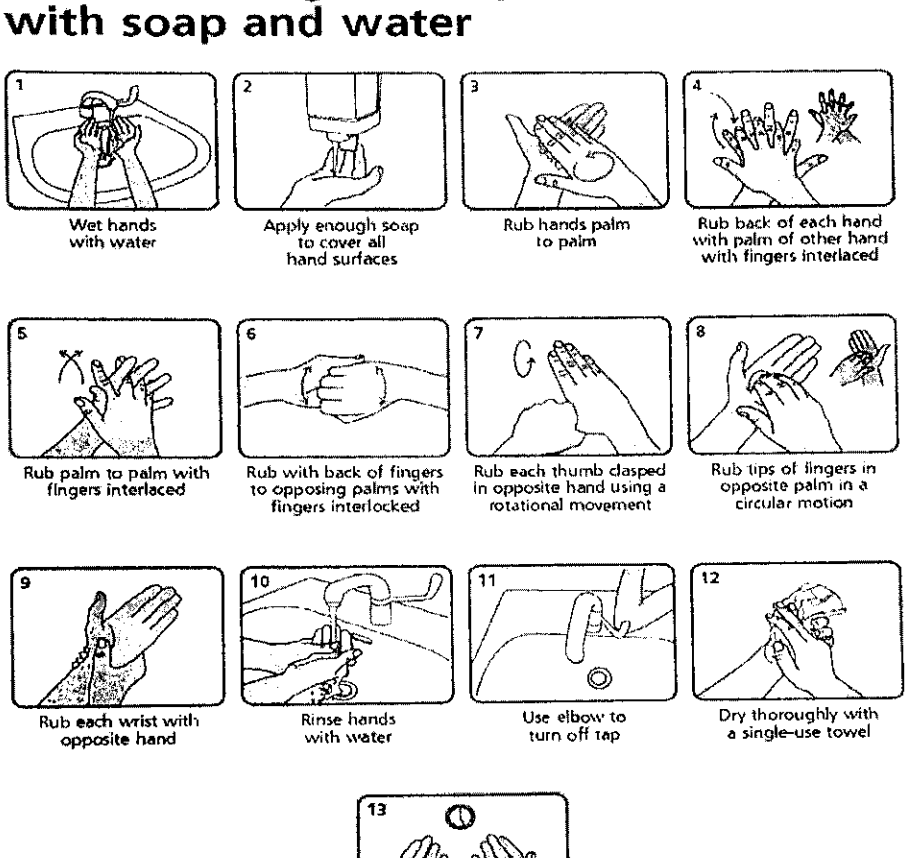



12 Dry thoroughly with a single-use towel



13 Hand washing should take 15–30 seconds

A Diwakar
24/X/22

**Annexure III**

**Guidelines for use of mask**

The correct procedure of wearing triple layer surgical mask

1. Perform hand hygiene
2. Unfold the pleats; make sure that they are facing down.
3. Place over nose, mouth and chin.
4. Fit flexible nose piece over nose bridge.
5. Secure with tie strings (upper string to be tied on top of head above the ears –lower string at the back of the neck.)
6. Ensure there are no gaps on either side of the mask, adjust to fit.
7. Do not let the mask hanging from the neck.
8. Change the mask after six hours or as soon as they become wet.
9. Disposable masks are never to be reused and should be disposed off.
10. While removing the mask great care must be taken not to touch the potentially infected outer surface of the mask
11. To remove mask first untie the string below and then the string above and handle the mask using the upper strings.
12. Disposal of used masks: Used mask should be considered as potentially infected medical waste. Discard the mask in a closed bin immediately after use.

A-Diwali
24/X/22

संख्याः– 464 / XXIV-B-5 / 2020–3(1)2020

प्रेषक,

ओम प्रकाश
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड।

2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

3– निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

4– सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी
शिक्षा परिषद, रामनगर बोर्ड,
नैनीताल

5– समस्त अपर निदेशक / संयुक्त
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड।

6– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 देहरादून : दिनांक :24 अक्टूबर, 2020

विषयः– **कोविड–19 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के कक्षा–10 एवं कक्षा–12 के आवासीय विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन–पाठन पुनः प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कोरोना वायरस के बढते संक्रमण के दृष्टिगत घोषित लॉकडाउन के कारण विद्यालय बन्द है। शासन स्तर से विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से आनलाईन शिक्षण कराये जाने के दिशा निर्देश जारी किये गये है। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्याः–463 / XXIV-B-5 / 2020–3(1)2020, दिनांक24 अक्टूबर, 2020 द्वारा डे–स्कूलों के लिये मानक संचालन प्रकिया भी निर्गत की गयी है।

2– गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3 / 2020–डी0एम0–1(ए) दिनांक 30.09.2020 एवं शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) भारत सरकार के पत्र F.No.11-16/2020Sch.4, दिनांक 05.10.2020 द्वारा विद्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में Standard Operating Procedures (SOP) जारी किये गये है।

3– उक्त के कम में सत्र को नियमित करने तथा छात्रहित में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के निजी आवासीय विद्यालयों में 10 एवं 12 की कक्षाओं में दिनांक 02.11.2020 से पठन पाठन भौतिक रूप से पुनः प्रारम्भ किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती हैः–

(क) शासनादेश संख्याः–463 / XXIV-B-5 / 2020–3(1)2020, दिनांक 24 अक्टूबर, 2020 में निर्धारित समस्त शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ख) उत्तराखण्ड राज्य में सरकारी आवासीय विद्यालय पृथक–पृथक प्रशासनिक विभागों द्वारा संचालित किये जा रहे है, सभी का आधारभूत सुविधाएं एवं प्रबन्ध भिन्न–भिन्न स्थिति में है। इसलिये शिक्षा विभाग के सरकारी आवासीय विद्यालयों हेतु भारत सरकार की गाईड लाइन के आधार पर महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा मानक संचालन प्रकिया तैयार कर प्रसारित की जायेगी । इसके अतिरिक्त अन्य विभागों यथा समाज कल्याण इत्यादि द्वारा संचालित

A.Diwak
24/X/2020

कमशः.....2 पर

आवासीय विद्यालयों की मानक संचालन प्रकिया उनके प्रशासनिक विभागों द्वारा तैयार कर प्रसारित की जायेगी, तदोपरान्त ही उनके द्वारा सरकारी आवासीय विद्यालय खोलने का आदेश निर्गत किया जायेगा।

4– अतः विद्यालय खोले जाने से सम्बन्धित Standard Operating Procedures (SOP) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न एस0ओ0पी0 तथा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा www.mhrd.gov.in पर जारी गाईड लाईन्स का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्डो के निजी आवासीय विद्यालयों में 10 एव 12 की कक्षाओं में भौतिक रूप से पठन–पाठन पुनः प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करे। यदि किसी आवासीय विद्यालय का कोई छात्र/छात्रा अथवा उनके अभिभावक वर्तमान परिस्थितियों में विद्यालय भेजने को सहमत नही होते है तो ऐसे छात्र/छात्राओं को पूर्व की भॉति ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित आवासीय विद्यालय की होगी।

5– निजी आवासीय विद्यालयों को पुनः खोले जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था का सतत् अनुश्रवण एवं अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु शिक्षा निदेशक माध्यमिक द्वारा किसी वरिष्ठ एवं भिज्ञ अधिकारी को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जायेगा, जिसके द्वारा नियमित रूप से शासन को कृत कार्यवाही की प्रगति आख्या उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी द्वारा एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी तथा उस जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी (CEO) को पदेन सहायक नोडल अधिकारी के रूप में नामित करते हुये, व्यापक प्रचार–प्रसार भी किया जायेगा।

6– प्रत्येक निजी आवासीय विद्यालय का प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय हेतु विद्यालय स्तरीय पदेन नोडल अधिकारी होगा और राज्य के मानक संचालन प्रकिया के आधार पर अपने विद्यालय की मानक संचालन प्रकिया की रूपरेखा शासनादेश निर्गत होने के तीन दिन के भीतर तैयार कर अपने जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेगा और प्रचार–प्रसार(संचार माध्यमों, नोटिस बोर्ड एवं मुख्य द्वार पर चस्पा कराना इत्यादि) भी सुनिश्चित करेगा। निजी आवासीय विद्यालय अपनी कार्ययोजना से कक्षा 10 एवं 12 के विद्यार्थियों के अभिभावकों को अवगत कराया जायेगा। यदि अभिभावक स्वेच्छा से छात्र–छात्राओं को विद्यालय भेजने हेतु सहमत होते है तो अपनी सहमति विद्यालय खुलने की तिथि से पूर्व संचार माध्यमों यथा ई–मेल इत्यादि के माध्यम से विद्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें, ताकि निजी आवासीय विद्यालय का प्रबन्ध तंत्र आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर सके।

7– उपरोक्तानुसार/संलग्न मानक संचालन प्रकिया का अनुपालन न करने वाले विद्यालयों के विरूद्ध महामारी अधिनियम की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

**संलग्नकः–यथोपरि।**

भवदीय
Om Prakash
(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव।

**संख्या–464 (1)/XXIV–B-5/2020–03(1)2020 तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपि** –निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

A. Divaker
24-10-20

3. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. स्टॉफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड
5. राज्य परियोजना निदेशक, शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. सचिव, सी0बी0एस0ई, बोर्ड, नई दिल्ली।
9. सचिव, सी0आई0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली।
10. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सालावाला, हाथीबडकला, देहरादून।
11. क्षेत्रीय अधिकारी, सी0बी0एस0ई, कौलागढ रोड, देहरादून।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निजी सचिव, मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

A. Diwakar
24/X/20

आज्ञा से,

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

# माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड

शासनादेश संख्या–464 / xxiv-B-5/2020-3(1)2020, दिनांक 24.10.2020 का संलग्नक

## राज्य के आवासीय विद्यालयों हेतु मानक संचालन प्रकिया (SOP)

राज्य में आवासीय विद्यालयों की दो श्रेणियां है– निजी आवासीय विद्यालय तथा सरकारी आवासीय विद्यालय।

### (अ) निजी आवासीय विद्यालय

1. विद्यालय खोलने से पूर्व स्वास्थ्य स्वच्छता व अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल हेतु मानक संचालन प्रकिया–

(क) निजी आवासीय विद्यालयों को खोलने से पहले विद्यालय के समस्त स्टॉफ एवं छात्र छात्राओं की अधिकतम् 72 घण्टे से पूर्व कोविड–19 की निगेटिव जॉच रिपोर्ट सम्बन्धित जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय को विद्यालय खोलने सम्बन्धी आवेदन के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

(ख) आवेदन प्राप्त होने के 48 घण्टे के भीतर जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा नगर मजिस्ट्रेट अथवा उप जिलाधिकारी के साथ संयुक्त रूप से विद्यालय का भौतिक निरीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा, जिसमें मुख्य रूप से छात्रावास में छात्रों के सोशल डिस्टैन्सिंग सम्बन्धी सुविधाओं को परखा जायेगा। इसके उपरान्त आवासीय विद्यालय में भोजन बनाने एवं वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली जायेगी। आवासीय विद्यालय परिसर का सैनीटाईजेशन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

(ग) निजी आवासीय विद्यालय के प्रबन्ध तंत्र के सक्षम प्राधिकारी से इस बात का शपथ–पत्र प्राप्त किया जायेगा कि शासन द्वारा जारी मानक संचालन प्रकिया का उनके द्वारा अनुपालन सुनिशचित किया जायेगा तथा आवासीय विद्यालय के समस्त शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर स्टाफ की आवासीय परिसर में ही नियमित रूप से निवास की व्यवस्था समुचित रूप से कर ली गयी है, ताकि बाहरी संक्रमण को विद्यालय परिसर के भीतर प्रवेश से रोका जा सके।

(घ) आवासीय विद्यालय में पृथक–पृथक क्वारंटीन परिसर स्थापित किये जायेगें अर्थात शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर स्टाफ हेतु पृथक तथा छात्र छात्राओं हेतु पृथक। यदि किसी कारणवश कोई भी व्यक्ति परिसर में प्रवेश करता है तो चिकित्सा विभाग के मानकानुसार क्वारंटीन रखा जायेगा। यदि कोई छात्र–छात्रा क्वारंटीन अवस्था में रखा जाता है तो उसकी सुरक्षा एवं भोजन प्रबन्ध के साथ–साथ ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय की होगी।

A. Diwakar
24/X/2020

(च) अन्य महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश

1. कोविड–19 के प्रभाव के उपरान्त डे–स्कूलों के समान कक्षायें संचालित करने हेतु शासनादेश संख्याः–463/XXIV-B-5/2020–3(1)2020, दिनांक–24 अक्टूबर, 2020 द्वारा जारी एस.ओ.पी. का पालन सुनिश्चित किया जाय।
2. छात्रावास में छात्रों को पृथक करने हेतु अस्थायी पार्टीशन किया जायेगा। तदनुसार दो बच्चों के बिस्तर के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जायेगी।
3. सुरक्षा की दृष्टि से छात्रों के मध्य शारीरिक एवं Social distancing सुनिश्चित की जायेगी।
4. उक्त के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर संकेतक एवं संदेश चस्पा किये जायेंगे।
5. छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए पर्याप्त शारीरिक एवं Social distancing सुनिश्चित हो सके इसके लिए आवास एवं अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाय।
6. छात्रावास में न रहने वाले छात्र/छात्राओं को Online अध्ययन हेतु सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित विद्यालय की होगी।
7. छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुए बड़ी कक्षा के छात्रों को प्राथमिकता दी जाय अर्थात सोशल डिस्टेसिंग के दृष्ठिगत सीमित स्थान होने पर मात्र कक्षा 12 के छात्रों को ही बुलाया जाय।
8. छात्रावास में रहने की अनुमति देने से पूर्व छात्रों की स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाय। मात्र ऐसे छात्रों को ही छात्रावास में रहने की अनुमति दी जाय जिनमें कोविड़–19 के लक्षण दृष्टिगत न हो और उनकी निगेटिव रिपोर्ट भी हो।
9. वर्तमान में भिन्न–भिन्न स्थानों पर निवास कर रहे छात्र जो सार्वजनिक परिवहन यथा बस, ट्रेन आदि से विद्यालयों को प्रस्थान करेंगे, को पूर्व में ही निर्देशित किया जाय कि वे सम्बन्धित सार्वजनिक वाहनों में अन्य यात्रियों से सम्पर्क न करें। तत्पश्चात छात्रों को राज्य सरकार की नीति/एस.ओ.पी. के अनुसार आवश्यक रूप से क्वारंटीन किया जायेगा तथा उक्त अवधि में उनके स्वास्थ्य का लगातार निरीक्षण किया जायेगा।
10. उक्तानुसार छात्रावास में प्रवेश करने वाले छात्रों के मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य की देख–रेख हेतु परामर्शदाता टीचर तथा परामर्शदाता की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
11. छात्रावास के लिए नियुक्त आवश्यक स्टाफ जो कोविड–19 के संक्रमण से ग्रसित न हो के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को छात्रावास में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
12. स्वास्थ्य सम्बन्धी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित हो, इसके लिए मेडिकल टीम द्वारा छात्रावास के किचन तथा मैस का कम से कम सप्ताह में एक बार निरीक्षण सुनिश्चित किया जाय। सम्बन्धित जनपद में तैनात मुख्य चिकित्साधिकारी/खाद्य निरीक्षक द्वारा भी समय–समय पर निरीक्षण किया जायेगा।

A. Diwakar
24/X/22

13. छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए शारीरिक/Social distancing, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वच्छता तथा पौष्टिक भोजन सुनिश्चित कराये जाने हेतु हॉस्टल स्टाफ की जागरूकता में अभिवृद्धि (Awareness enhancement) किया जाय।
14. छात्रावास में दूरदर्शन एवं रेडियो के सुचारू संचालन हेतु उच्च स्तर का Wi-Fi संयोजन/केबल संयोजन सुनिश्चित किया जाय।

उक्त सुविधाओं के उपयोग हेतु शारीरिक एवं Social distancing का पालन सुनिश्चित किया जाय तथा उक्त के अतिरिक्त भोजन प्रबन्ध इत्यादि हेतु जारी निम्नांकित निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित किया जाय–

## आवासीय विद्यालयों में भोजन बनाये जाने के सम्बन्ध में

### (1)भूमिकाः–

- कोविड–19 के दृष्टिगत बच्चों को सुरक्षा एवं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने हेतु बच्चों को गर्म खाद्य पदार्थ उनके मानक के अनुसार दिया जाये।
- इस दिशा निर्देशिका को बनाने का मुख्य उद्देश्य राज्य/जनपद/ब्लाक अधिकारियों/कार्मिकों/विद्यालय प्रबन्ध तंत्र को भोजन बनाने एवं वितरण करने में खाद्य सुरक्षा/स्वास्थ्य/स्वच्छता को बनाये रखने हेतु उनको संवेदनशील बनाना ताकि वे जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

### (2) विद्यालयों में भोजनमाताओं (रसोईये) का प्रवेशः–

- सम्बन्धित जनपद/ब्लाक/स्तरीय प्रशासन एवं सम्बन्धित विद्यालय की यह जिम्मेदारी होगी कि कोई भी भोजनमाता/कुक कोविड पॉजिटिव न हो।
- विद्यालय में कार्य करने से पूर्व प्रत्येक भोजनमाता/कुक को स्वघोषणा करनी होगी कि वह स्वयं एंव उसके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ हैं।
- प्रत्येक भोजनमाता/कुक का रसोई कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व तापमान जांचना (Thermal Screeing) की जानी आवश्यक है।
- प्रत्येक दिन के तापक्रम का अभिलेखीकरण किया जाये।
- प्रत्येक भोजनमाता/कुक को रसोई कक्ष प्रवेश के दौरान कम से कम 40 सेकेन्ड तक Sanitize एवं हस्त प्रक्षालन निर्धारित विधि से कराया जाये।
- प्रत्येक भोजनमाता के लिये आवश्यक होगा कि सफाई, धुलाई, काटना, भोजन बनाना एवं खाना वितरण के समय मास्क का प्रयोग करेंगे। यदि हाथ से बना हुआ मास्क का प्रयोग होता है तो यह सुनिश्चित किया जाये कि वह नियमित रूप से धोया जाये।
- नेल पॉलिस या कृत्रिम नाखून का प्रयोग भोजन बनाते समय कदापि न किया जाये।
- खाना बनाते एवं वितरण के समय घड़ी, आभूषण, चूड़ियां आदि कदापि न पहना जाये, क्योंकि इससे खाना संक्रमित होने की सम्भावना बनी रहती है।
- भोजनमाता/कुक अथवा किसी भी व्यक्ति को विद्यालय में थूकने एवं नाक खुजलाने पर रोक लगायी जाये, ताकि खाने के संक्रमित होने की सम्भावना न हो।
- भोजनमाता/कुक को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ अप्रैन एवं हैड गेयर, गलब्ज उपलब्ध कराये जायें।

A·Diwak
24/X/20

- यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रत्येक भोजनमाता/कुक खाना बनाते समय साफ सुथरा ऐप्रन एवं हैड कवर पहने।
- यह सुनिश्चित किया जाये कि भोजनमाता/कुक को प्रत्येक अनैच्छिक/ऐच्छिक गतिविधि यथा खांसना, जुखाम, शौचालय जाना, टेलीफोन करना आदि के पश्चात् कम से कम 40 सेकन्ड तक हस्त प्रक्षालन (Hand Wash)किया जाये।
- भोजनमाता/कुक को सतर्क रहना है कि भोजन बनाते समय नाक खुजाना, बालों में उंगली फिराना, आंखों/कान/मुँह को खुजाना, दाड़ी खुजाना, शरीर के अन्य हिस्सों को खुरचना आदि खतरनाक हो सकता है, जिससे भोजन के संक्रमित होने की प्रबल सम्भावना होती है।
- वॉश बेसिन/हैंड पम्प/पानी की टोंटी के पास प्रत्येक समय साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये, ताकि नियमित अंतराल पर भोजनमाता/कुक हस्त प्रक्षालन कर सके।
- प्रत्येक भोजनमाता/कुक एवं अध्यापक के स्वच्छता, सफाई/सुरक्षा भौतिक/सामाजिक दूरी बनाये रखने हेतु जागरूकता अभिवृद्धि(Awareness enhancement) डिजिटल मोड के माध्यम से सुनिश्चित किया जाये।

## (3) किचन कम स्टोर अथवा भोजन बनाने के स्थान की साफ सफाई के सम्बन्ध में:–

- विद्यालय के पुनः खुलने पर 24 घंटे पूर्व किचन कम स्टोर/भोजन बनाने के स्थान की वृहद सफाई एवं सैनिटाईजेशन किया जाये।
- दैनिक आधार पर किचन कम स्टोर की खाना बनाने से पूर्व सफाई सुनिश्चित की जाये।
- खाना बनाने से पूर्व एवं पश्चात् एवं किचन कम स्टोर की फर्श एवं सामान रखने हेतु स्लैब की अच्छे से साफ सफाई की जाये।
- यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाये कि ऐसा स्थान जो खाद्य पदार्थों के सीधे संपर्क में आये, उसके प्रयोग से पूर्व उसकी सफाई करने के पश्चात् उसे सुखा लिया जाये।
- किचन कम स्टोर के टूट-फूट एवं दरारों, फर्श का खुरदरापन एवं उनके खुले जोड़ों की यथाशीघ्र मरम्मत कर ली जाये।
- बचे हुये खाने के निस्तारण एवं गंदे पानी के निकासी का व्यापक एवं पर्याप्त प्रबन्ध किया जाये। अपमिश्रण का मुख्य स्त्रोत गंदे पदार्थ, दूषित पानी, शौचालय, खुले पानी का निकास और आवारा पशुओं को किचन कम स्टोर से दूर रखा जाये।
- प्राकृतिक एवं मशीनीकृत यथा खिड़कियां एवं Exhaust Fan इत्यादि इस प्रकार से बनाये जाये, जिससे दूषित हवा दूषित वातावरण से स्वच्छ वातावरण में न आये।

## (4) भोजन बनाने कें बर्तनों एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में:–

- सफाई के मुख्य सहायक उपकरण यथा कपड़े, झाड़ू पोंछा, ब्रश अशुद्धि फैलाने के मुख्य स्त्रोत हैं। अतः प्रयोग करने से पूर्व इनके धोने सफाई एवं सुखाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- सफाई के सहायक उपकरणों का उपयोग किचन में ही किया जाये। किचन से बाहर न किया जाये।

A.Diwaly
24/x/20

- सफाई के उपकरणों को साफ करने के पश्चात् उन्हें धूप में सुखाया जाये।
- मेज, बेंच, अलमारी के बोर्ड गिलास आदि को साफ सुथरा किया जाये। खाना बनाने के बर्तन एवं कॉकरी को साफ एवं अच्छी स्थिति में रखा जाये। वे टूटे फूटे नहीं होने चाहिये। सभी किचन उपकरण/बर्तनों को प्रयोग करने से पूर्व साफ धो कर धूप में सुखाया जाय। बर्तनों को धोने एवं कीटाणु रहित करने हेतु गर्म पानी (60 डिग्री सेल्सियस से अधिक) का प्रयोग किया जाये।
- बर्तनों/हाथों/फर्श को साफ करने के लिये साफ कपड़े का प्रयोग किया जाये। फर्श की सफाई हेतु इस्तेमाल होने वाले कपड़े का प्रयोग मेजों के तल, खाना बनाने वाले स्थान एवं बर्तनों के सफाई के लिये न किया जाये।
- प्लेट अथवा बर्तनों में बचे हुये खाने को डस्टबिन में कपड़े अथवा वाइपर की सहायता से डस्टबिन में डाला जाये। खाना खाने के बर्तन अथवा खाना बनाने की सामग्री को रखने वाले कंटेनर को उचित ढंग से बंद किया जाय।

## (5) पुराने खाद्य पदार्थ, तेल, वसा एवं अन्य खाद्य सामग्री के उपयोग से पूर्व जांचः—

- बचे हुये खाद्यान्न, तेल, खाद्य सामग्री, घी आदि का प्रयोग करने से पूर्व भली भांति उसकी गुणवत्ता की जांच कर ली जाये, क्योंकि काफी लंबे समय से विद्यालयों के बन्द होने के कारण दीर्घ समय से रखे होने के कारण वे संभव है कि वे प्रयोग हेतु उपयुक्त न हों।
- खाद्य सामग्रियों का प्रयोग FEFO(First expired, First out) के अनुसार किया जाये।

## (6) सब्जियो को काटने, धोने एवं खाद्य पदार्थों तथा दालों की सफाई के सम्बनध में:—

- सब्जी, फल एवं जल्दी खराब होने वाली खाद्य सामग्रियों को ताजी खरीदा जाय एवं उनका लंबे समय तक भण्डारण न किया जाये।
- सब्जियों को प्रयोग करने से पूर्व उनको पानी से अच्छे से साफ कर लिया जाये। सब्जियों को साफ करने के लिये नमक, हल्दी, 50 पीपीएम क्लोरीन (समतुल्य घोल) का मिश्रण बना कर उसको साफ पानी से धोया जाये जिससे कि गंदगी एंव अपमिश्रण पदार्थ हट जाये।
- खाद्यान्न, दालों को प्रयोग करने से पूर्व उसको अच्छी तरह से साफ कर लिया जाये।
- खाद्य सामग्रियों के Sealed पैकेटों को अच्छी तरह से साबुन के पानी में धो कर धूप में सुखाया जाये। जार में डालने से पूर्व साबुन से हाथ धोने के पश्चात् ही बर्तनों में डाला जाये।
- ऐसे कच्चे खाद्य पदार्थ, एवं तेल मसाले प्रयोग में न लाया जाये, जिनमें कीड़े, सूक्ष्म कीड़े, कीटनाशक, विषैले पदार्थ आदि सम्मिलित हों।
- किचन में भोजन बनाये जाने हेतु जहाँ तक सम्भव हो किचन की विभिन्न गतिविधियों के लिए यथोचित दूरी का पालन किया जायेगा यथा कच्ची सामग्री क्रय करने, सब्जी काटे जाने, अनाज व दालों की सफाई किये जाने, खाना बनाये जाने का स्थान एवं पकाये हुए भोजन को रखे जाने हेतु सुरक्षित दूरी अपनायी जायेगी।
- शारीरिक दूरी बनाये जाने हेतु रसोईया एवं सहायक अलग—अलग दिशा में मुंह करके आवंटित कार्यों का संचालन करेंगे।

A. Diwakar
24/X/2020

- विद्यालय खुलने से पूर्व विद्यालय में स्थित सभी पानी की टंकियों को पूर्णतया स्वच्छ/साफ किया जायेगा तथा समय-समय पर उक्त टंकियों की सफाई की जायेगी।
- प्रयुक्त न हो सकने वाले पानी के पाइप तथा प्रयुक्त हो सकने वाले पानी के पाइप को स्पष्ट रूप से चिन्हांकित किया जायेगा।
- विद्यालय में कूडे के निस्तारण की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी तथा उक्त का रख-रखाव इस तरह से किया जायेगा कि भोजन तथा स्वच्छ पेयजल दूषित न हो। कूड़ेदान/टैंक ऐसे स्थलों पर स्थापित किये जायें ताकि भोजन प्रक्रिया, भोजन भण्डारण, किचन का आंतरिक/वाह्य वितरण न हो। कूड़ेदान में ढक्कन की व्यवस्था हो तथा समय-समय पर उसका निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- विद्यालय में बचे हुए भोजन का समय-समय पर निस्तारण किया जाय।
- बचे हुए भोजन तथा अवशेष के निस्तारण हेतु ईको-फ्रेंडली तरीके से वर्मी कम्पोस्टिंग की जाय।
- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप अवशेष भोजन का निस्तारण किया जायेगा।
- उत्तरदायी लोगों का सहयोग- वर्तमान परिस्थतियों के मध्यनजर अभिभावकों, आम जन समुदायों, एस.एम.सी. सदस्यों (School Management Committee) एवं शिक्षकों का छात्रों को सुरक्षित एवं स्वच्छ रीति से भोजन उपलब्ध कराये जाने हेतु सहयोग लिया जायेगा।

## आवासीय विद्यालय में भोजन परोसा जाना

1. भोजन परोसने एवं भोजन करने का स्थल भोजन करने से पूर्व तथा भोजन करने के बाद सेनिटाइज किया जायेगा।
2. शारीरिक एवं Social distancing के नियमों का पालन करने हेतु भोजन परोसे जाने के लिए पर्याप्त स्थान निर्धारित किया जायेगा तथा अलग-अलग ग्रुप में भोजन करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
3. यदि स्थान की कमी के कारण भोजन के वितरण हेतु छात्रों के ग्रुप को अलग-अलग हिस्सों में बाटना सम्भव न हो तो बच्चों को भोजन उनकी कक्षाओं में ही वितरित किया जायेगा। यदि भोजन विद्यालय के वरामदे एवं डायनिंग हाल में कराया जा रहा हो तो ऐसे स्थलों पर छात्रों के बैठने हेतु स्थानों की मार्किंग की जायेगी। कुक कम हेल्पर भोजन वितरित करते समय सुरक्षा सम्बन्धी उपकरण यथा फेस मास्क, हेड कवर धारण करेंगे तथा छात्रों से पर्याप्त दूरी बनाये रखेंगे।
4. भोजन ग्रहण करने के समय को छोडकर भोजन वितरण करते समय तथा डायनिंग एरिया में उपस्थिति के समय छात्र फेस मास्क का आवश्यक रूप से प्रयोग करें।
5. छात्रों को वितरित किये जाने वाले भोजन का तापमान 65 डिग्री सेल्सियस हो तथा भोजन तैयार होने के तत्काल बाद बच्चों को भोजन वितरित किया जायेगा।
6. छात्रों द्वारा कम से कम 40 सेकण्ड तक अपना हाथ धोना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. छात्रों के उक्तानुसार हाथ धोने की प्रक्रिया का शिक्षकों द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।
8. जहॉ हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध न हो अथवा छात्रों की संख्या के अनुसार पर्याप्त न हो वहॉ बाल्टी तथा मग का इस्तेमाल कर उक्तानुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

A. Diwaker
24/x/22

**भोजन ग्रहण करने से पूर्व तथा बाद में छात्रों द्वारा हाथ धोना**— भोजन ग्रहण करने से पूर्व एवं बाद में छात्रों को कम से कम 40 सेकण्ड तक साबुन से हाथ धोने हेतु प्रेरित किया जायेगा। शारीरिक एवं Social distancing सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयों द्वारा हाथ धोने हेतु एक स्थान तय किया जायेगा। उक्त कार्य हेतु यदि अन्य सुविधायें उपलब्ध न हो तो कम से कम प्लास्टिक की खाली बोतलों में पानी के साथ साबुन का घोल मिलाकर रखा जायेगा तथा छात्रों द्वारा हाथ धोने हेतु उक्त का प्रयोग किया जायेगा।

**पेयजल की आपूर्ति**— विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित की जायेगी। जहॉ पेय जल की निरंतरता उपलब्ध न हो वहॉ स्वच्छ पानी के भण्डारण की, भोजन बनाये जाने एवं हाथ धोये जाने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। भोजन सामग्री को साफ किये जाने, हाथ धोये जाने एवं भोजन पकाये जाने हेतु शुद्ध पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

## (ब) सरकारी आवासीय विद्यालय

राज्य में सरकारी आवासीय विद्यालय पृथक–पृथक प्रशासनिक विभागों द्वारा संचालित किये जा रहे है, सभी की आधारभूत सुविधाएं एवं प्रबन्ध भिन्न–भिन्न स्थिति में है। इसलिये शिक्षा विभाग के सरकारी आवासीय विद्यालयों हेतु भारत सरकार की गाईडलाइन्स के आधार पर महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर प्रसारित की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों यथा समाज कल्याण इत्यादि द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों की मानक संचालन प्रक्रिया उनके प्रशासनिक विभागों द्वारा तैयार कर प्रसारित की जायेगी।